RNI - MPBIL/2008/26448

डाक पंजीयन– म.प्र./भोपाल/4–167/2024–26

नवलय अनुबोध

ज्येष्ठ–आषाढ़, युगाब्द 5126, वर्ष 17 अंक 04, प्रेषण तिथि 15 जून 2024, पृष्ठ 36
मूल्य 25/– रु., प्रकाशन तिथि 14 जून 2024, ISSN No. 2456 - 0499

गहन सघन
मनमोहन वन तक
मुझको आज बुलाते हैं
किन्तु किये जो वादे मैंने
याद मुझे आ जाते हैं
अभी कहाँ आराम बदा,
यह नेह-निमंत्रण छलना है
अरे अभी सोने से पहले
मुझको
मीलों
चलना
है।

-हरिवंश राय बच्चन

स्वप्नशील भारत अंक

क्या आप

प्रतिदिन 2.75 रू. वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिये दान कर सकते हैं?

यदि हाँ ! तो इस अभियान का अंग बनिये।
कम से कम 1000 रू. वार्षिक दान करें।

नवलय ज्ञानदान

चलो जलायें दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है।

योजना प्रारम्भ से अब तक, वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु ₹ 5,39,344 /- की सहायता दी जा चुकी है

इस माह सहयोग राशि भेजने वाले
1. श्री देवेन्द्रपाल चड्ढा, भोपाल

वार्षिक सहयोग राशि का भुगतान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में/ नेट बैंकिंग/गूगल पे/पेटीएम से कर सकते हैं

खाते का नाम - नवलय ज्ञानदान (Navalaya Gyandan)

खाता क्र. - 3164047076

बैंक - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जेल रोड, भोपाल

IFSCode – CBIN 0283134

Scan here to pay

NAVALAY HUZUR
क्यू आर कोड को स्केन कर राशि प्रेषित कर सकते हैं।

आपके द्वारा दिया गया दान आयकर धारा 80/जी के अन्तर्गत छूट प्राप्त होगा

सम्पर्क करें : 9425005033, 9300494833

नवलय का मासिक प्रकाशन

नवलय अनुबोध

वर्ष 17 अंक 04, जून -2024

संपादक
आशीष शर्मा

संपादक मण्डल
दीपक भसीन, राकेश कुमार जैन,
डॉ. पूर्णिमा दाते,

प्रबंधक
अनिल नेमा

प्रकाशक व मुद्रक
राकेश कुमार जैन

स्वामित्व
नवलय
54, जोन-2, महाराणा प्रताप नगर,
भोपाल - 462011
E-mail :
navalayaanubodh@gmail.com
Web.: www.navalaya.org
फोन : 9425005033, 9425011865

प्रेषण व्यवस्था
सत्येन्द्र श्रीवास

मुद्रण
श्री श्रद्धा ऑफसेट प्रिंटर्स,
एस–बी– लोअर ग्राउण्ड, विजय स्तम्भ, भोपाल
फोन : 0755–4235459

मूल्य : रू 25/-
वार्षिक शुल्क : रू 300/-
द्विवार्षिक शुल्क : रू 500/-

ISSN No. 2456 - 0499

मासिक पत्रिका

नवलय अनुबोध का इंटरनेट संस्करण हमारी वेबसाइट :
www.navalaya.org पर उपलब्ध है।

सम्पादकीय	04
अभिमत	05
नज़रिया	06
सरल भाषा में	06
कुशल और त्वरित न्याय - एक स्वप्न	07
'स्वच्छ भारत' : एक संकल्पित स्वप्न	08
हमारा स्वप्न - एक सी शिक्षा, सबको...	09
फिर हमारा हो - पाकिस्तान अधिकृत...	11
स्वप्न - भ्रष्टाचार मुक्त भारत	12
आर्थिक समानता - अधूरा स्वप्न	13
चुनाव सुधार - अब भी हैं स्वप्न	14
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद - स्थायी...	16
देश का स्वप्न - विश्वसनीय चौथा खम्भा	17
किताब के पन्नों से	17
हमारा स्वप्न - जनहितकारी नौकरशाही	18
जाति प्रथा विहीन समाज - सदियों...	19
गंग सकल मुद मंगल मूल....	20
कई कानून बदले - शायद पूरा...	21
जहाँ नहीं जल जमना को निर्मल....	22
महिला शक्ति - भारत के साकार...	23
भारत के स्वप्नों के वाहक - ई. श्रीधरन	25
भारत के स्वप्नों के वाहक - एम् एस...	26
कहानी	27
सपने	28
लीक से हटकर	29
शाब्बाश	29
देवभूमि की चार धाम यात्रा	30
भारत में पर्यटन के लिए इजराइल...	31
धारदार कलम	31
सामयिकी	32
संदर्भवश	33
हमारा शहर	34

प्रस्तुत विचार लेखकों के अपने विचार हैं। नवलय अनुबोध का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है

सम्पादकीय

हर कलाकृति, हर भवन, हर परियोजना दो बार बनती है, हर कविता, हर काव्य, हर खोज और हर अविष्कार. पहले परिकल्पना में, फिर भौतिक धरातल पर. भविष्य में किसी योजना को मूर्त रूप में देखने का नाम स्वप्न है. मनोवैज्ञानिक दिवास्वप्नों को बड़ा महत्त्व देते हैं. परा मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि किसी कल्पना को बार बार स्पष्टता से देखना उस कल्पना को मूर्त रूप देने का एक निश्चित मार्ग है. भारत के लिए कुछ स्वप्नों की उड़ान को निश्चित आकार देने का प्रयत्न है, नवलय का यह अंक – स्वप्नशील भारत अंक.

1857 और उसके पूर्व स्वतंत्रता का स्वप्न एक उदाहरण है, जब असंख्य बलिदानों के बाद लाल किले पर हमने अपना ध्वज फहराते देखा. साइकिल और बैलगाड़ी पर राकेट को प्रक्षेपण स्थल पर ले जाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों के स्वप्नों का कमाल था कि आज हमारा इसरो, नासा की बराबरी पर खड़ा है. स्वप्नदर्शी होना स्वाभाविक है, सपनों के पीछे दौड़ना नैसर्गिक है. देश के सामने बड़े स्वप्न हैं आज भी, उन स्वप्नों की चर्चा है यह अंक.

क्या निराशा हमारी प्रकृति बन रही है ? क्यों चुभ रहा है हमें चहुँ दिशाओं में फैला भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, लेकिन क्यों न गर्व करें हम विश्व के सबसे बड़े पोलियो अभियान की सफलता का, एक सशक्त सेना का, एक उल्लास में तालियां बजाने क, उत्सव बना हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम और बिना संसाधनों के बड़ी बड़ी परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हमारे बच्चे, जो हमारे स्वप्नों का प्रकटीकरण हैं.

इस अंक में चर्चा होगी, कैसे एक तेज और निर्णायक कानूनी व्यवस्था आज भी स्वप्न है, क्या किसी ऐसे स्वप्न को देखना संभव नहीं जिसमे तारीख पर तारीख न हो, न्याय त्वरित और पारदर्शी हो, लंबित मुकदमों का ढेर समाप्त जो, सड़क पर खड़े रेहढ़ी वाले को पुलिस की वसूली का भय न हो. परीक्षा में नकल बंद हो. स्पष्टता से बात कहने की सामर्थ्य पत्रकारिता का मूल है, नवलय इसी मूलभूत सिद्धांत का पालन करते हुए इस अंक में पाठकों से साझा करेगा स्वप्न, समाज के, देश के. स्वप्नों के इस संसार में चर्चा होगी जो स्वप्न पूरे होने के दृष्टा बने हैं हम. वॉर ग्रेड का स्टील विक्रांत के लिए देश में ही बनाना हो या हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिकल्स के पास 80 से अधिक देशों के आयात के सौदे हों, या बैंकिंग लड़खड़ाती हुई एक बड़े संपन्न लाभ को दर्ज कर पाती हो, स्वच्छ भारत में हुए काम, जो हम सब ने पूरे किये, इस अंक का विषय हैं. विदेश से लाल गेहूं मंगवाने की विवशता के बाद एक समर्थ और एटीएम निर्भर कृषि उत्पादक देश बन पाना भी एक स्वप्न साकार होने के साक्षी रहे हैं हम. क्रायोजेनिक इंजन का विकास हो या सफल स्टार्ट अप की बढ़ती संख्या, देश को गौरवान्वित करने वाले इन कीर्तिमानों का आधार रहे हैं वे स्वप्न जो किसी समय बिंदु पर किसी ने देखे. सत्य यह है कि बढ़ती हुई आल इंडिया इंस्टीटूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज की संख्या भी उन्हीं स्वप्नों को आधार बनाने की प्रक्रिया थी.

संसाधन बहुमूल्य होते हैं, क्या हम फिर एक हरित और स्वच्छ भारत को प्राप्त नहीं कर सकते जहाँ जमुना–गंगा अपनी स्वच्छता और पवित्रता को प्राप्त कर सकें, रेत की चोरी बंद हो, वन सम्पदा की बर्बादी रोकना क्या हमारा स्वप्न नहीं होना चाहिए. इन स्वप्नों पर चर्चा का विषय है इस अंक में.

टूटते परिवार, लिव इन जैसी व्यवस्थाएं आज भारत के समाज का अंग बन रही हैं. आइये स्वप्न देखें उस इतिहास का जिसमे समाज में सम्बन्ध सम्मान और स्नेह पर आधारित होते थे. स्वप्न जो सच्चे हो सकते हैं, वे स्वप्न जिन्हें साकार करने का सामर्थ्य भारत में है, उन स्वप्नों की चर्चा में वर्तमान स्थिति की कमियों का लेखा जोखा लिया जाना आवश्यक है. अटल जी शब्द बड़े प्रासंगिक हैं–

''टूटे हुए तारों से फूटे वासन्ती स्वर,
पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर,
झरे सब पीले पात,
कोयल की कुहुक रात,
प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ।
गीत नया गाता हूँ।

पाठकों के साथ, प्राची में अरुणिमा की रेख देखने का प्रयास है यह अंक. स्वप्न स्पष्ट हों यह इतना ही आवश्यक है कि स्वप्न सांझे हों, भुजाओं में उन्हें पूरा करने का बल हो. भारत स्वप्नों की इस यात्रा का वृत्तांत है यह अंक.

पाठकों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी. ■

वर्मा

कालजयी कथन

स्वप्नां द्रष्टुं धैर्यं करवाम

कममें बड़ा स्वप्न देखने की शक्ति होनी ही चाहिए। ■

अभिमत

इन सपनों का अंत नहीं

–राकेश कुमार जैन

युगों युगों से मानव सपने देखने और अपने जीवन काल में उन्हें साकार करने के लिए सभी प्रकार की कोशिश करता रहा है। विश्व में यहूदियों के उस सपने की अक्सर चर्चा होती है जो उन्होंने इजराइल देश के रूप में अनेक सदियों के बाद पूरा किया। स्पष्ट है कि व्यक्ति के साथ परिवार सपने देखता है, समाज सपने देखता है और राष्ट्र भी सपने देखता है। अलग अलग भूमिका में होने के कारण यह सभी सपने अलग–अलग प्रकार के हो सकते हैं। इस अंक में हमने अनेक ऐसे राष्ट्रीय सपनों की बात की है जिन्हें हम पूरे होते देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ अन्य सपने भी हैं जिन्हें हम देशवासियों ने 1947 में आजादी के समय से ही संजो रखा है। इनमें से कुछ सपने जनता ने देखे और कुछ सपने जनता के वोटों से चुनी गई सरकारों ने उन्हें दिखाये। यह अलग बात है कि न तो जनता के सपने पूरे हुए और न ही सरकार अपने वचन के अनुसार उन सपनों को पूरा कर पाई। यदि हम सामूहिक रूप से भारत के सपनों की बात करें तो उन्हें सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। कुछ सपने ऐसे जिन्हें सरकार को पूरा करना है और कुछ सपने ऐसे जो हमारे समाज या व्यक्तिगत स्तर पर हम भारतीयों को स्वयं पूरा करना है।

हम अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के परिदृश्य से गुजरे हैं, तो सपनों की बात चुनाव से ही शुरू करें। ईमानदार, देशभक्त, पक्षपातरहित, वंचितों के लिये कुछ करने का भाव रखने वाले लोग चुनकर संसद विधानसभाओं में आयें इसका सपना हमने आजादी के काल से ही देखा था। पर हाल के चुनाव में कुछ ऐसे शख्स भी चुनकर आ गए जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या आतंकवाद के आरोप में जेलों में बंद है। यह निश्चित रूप से भारतीय प्रजातंत्र के लिए चिंताजनक बात है। पंजाब में 'वारिस पंजाब दे' संगठन के नेता अमृतपाल सिंह फिलहाल असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और वह अन्य सभी दलों के प्रत्याशियों को हराकर खंडूर साहिब सीट से विजयी हो गए हैं। एक ऐसी ही सीट बारामुला संसदीय सीट है जहां जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने सज्जाद गनी लोन और नेशनल कांफ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हरा दिया। यह शख्स तिहाड़ जेल में टेरर फंडिंग के मामले में बंद है। इसके अलावा भी अनेक स्थानों से आतंकवादियों, बाहुबलियों, अपराधियों और घोर जातिवादी प्रत्याशियों का जीत कर आना चिंताजनक है जिसका कानूनी निराकरण होना ही चाहिए। एक अन्य समस्या हमारे देश में घुसपैठ की है। सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेश व अन्य सीमावर्ती देशों से लगातार घुसपैठ बनी हुई है और यह समस्या इतनी विकराल हो गई है कि यह घुसपैठिये हमारे यहां आकर मतदाता बन चुके हैं। यह सब बंद हो यह भी हमारा एक सपना है।

हमारे देश में असमानता की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। पिछले 75 वर्षों के चुनाव में हर बार गरीबी हटाओ और बराबरी की बात चुनावी मुद्दे रहे हैं लेकिन यह सब आज तक संभव नहीं हो पाया है। हमारा यह सपना कम से कम आजादी के इस अमृतकाल में पूर्ण हो कि देश में सभी को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध हो।

अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों में परिवर्तन भी एक सपना रहा है। गतवर्ष हालांकि इसमें कुछ काम हुआ है लेकिन अभी भी अनेक कानूनों में परिवर्तन की जरूरत है। हाल ही में पुणे में 'हिट एंड रन' प्रकरण में कानून की धज्जियां उड़ते हमने देखी हैं। समान नागरिक संहिता भी एक ऐसा ही विषय है, जो हमारे सपनों में शामिल है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण की बात पिछले 50 सालों से चल रही है पर इसे नियंत्रित करने के बजाय हम अब चीन को भी पछाड़ चुके हैं।

अब कुछ उन सपनों की बात जो कि हमें स्वयं अपने स्तर पर या समाज के स्तर पर पूरे करना है। इनमें एक सबसे बड़ा सपना है जातिगत भेदभाव। अभी भी हम निरंतर जातियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। अब तो इन जातियां की संख्या आज से 100 साल पहले जितनी थी उससे कई गुना अधिक हो चुकी है। हम यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिस तरह से वर्ण व्यवस्था और आपसी फूट का फायदा उठाकर विदेशी आक्रांताओं ने हमें हजार वर्ष तक गुलाम बनाया ठीक उसी प्रकार का परिदृश्य आज भी है। हमें आपस में इन जातियों के भेदभाव को खत्म करना है। इसी के साथ छुआछूत की समस्या भी अभी तक तमाम प्रयासों के बावजूद समाप्त नहीं हो पाई है। इसके अनेक उदाहरण अभी भी ग्रामीण अंचलों में दिखाई दे जाते हैं। यद्यपि शहरी व्यवस्था में यह छुआछूत कुछ कम प्रतीत होती है लेकिन फिर भी जातिगत उपनामों के कारण आपसी चर्चा में यह प्रकट होती ही रहती है। इसे समाप्त करने की जिम्मेदारी भी हम देशवासियों की है। स्वच्छता भी एक ऐसा ही विषय है जिसपर पिछले लगभग 8 सालों में बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अभी भी हम इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में अंगीकार करने में पीछे हैं। एक बड़ा स्वप्न सर्वसमावेशी समाज व आपस में वैचारिक सम्मान का है। हम निरंतर देख रहे हैं कि समाज में आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है और जब से सोशल मीडिया ने हमारे जीवन में अपना स्थान बनाया है तब से यह तनाव और अधिक दिखाई देने लगा है। यह तनाव समाप्त हो यह भी हम भारतीयों का स्वप्न है जिसे हम अपने स्तर पर ही साकार कर सकते हैं। ■

– मो. 9425005033 Email- bankchetna@gmail.com

नज़रिया

कठिन है राह

– दीपक भसीन

अ पाद मस्तक भ्रष्टाचार में डूबे देश में, दुःख यह नहीं कि परिस्थितियां अच्छी नहीं, दुःख इस बात का है कि परिस्थितियों में सुधार की कोई सम्भावना नहीं है. ''खम्बे से टांग दूंगा भ्रष्टाचारी को'' पहले प्रधानमंत्री ने कहा था. ये वही प्रधान मंत्री थे जो पुरानी जीपों को नए के भाव खरीदने वाले एक राजनायक को अपनी कैबिनेट में रक्षा मंत्री नियुक्त करने में नहीं हिचकिचाए. एक राजनैतिक दल से समर्थन जुटाने में नोटों का व्यवहार करने वाले भी प्रधानमंत्री रहे हैं देश में. खबर ये है कि झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के सांसद जब एक सरकार को बचाने आये तो सारे नशे में धुत्त थे, पूछने पर बताया हम आदिवासी हैं, यह हमारी सांस्कृतिक परंपरा का अंग है. किसी राज्य में चयन आयोग की किसी परीक्षा के पर्चे लीक होने से बाकी नहीं रहे, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार में पकडे गए अभ्यर्थियों को जेल और नेताओं को क्लीन चिट इस देश की परंपरा रही है.

शिक्षा, भर्ती, चिकित्सा, भू अर्जन, निर्माण, खाद्य सामग्री, कोई क्षेत्र भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है. जो जहाँ है मुल्क के काम पर है की भावना के साथ आईएएस से लेकर पटवारी तक छापों में अपने निवास से भ्रष्टाचार के करोड़ों रूपये बरामद करवा रहे हैं. कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी व्यवस्था एक सूत्रीय कार्यक्रम में व्यस्त है, जिसमे ईमानदार केवल वह है जिसे भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिल रहा है. भ्रष्टाचार का मूल यदि प्रेमचंद के शब्दों में खोजा जाए तो उत्तर मिलता है. प्रेमचंद नमक का दरोगा में कहते हैं ''जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वरप्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी–छिपे इसका व्यापार करने लगे.''. एक दुष्चक्र स्पष्ट दिखता है, किसी गतिविधि का निषेध फिर उस पर नियंत्रण और नियंत्रण में छूट की एवज में धन की उगाही. क्या शहर में हर चौराहे पर सिग्नल के अतिरिक्त यह सूचना पर्याप्त नहीं कि सिग्नल की अवमानना के चलते कल कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी है और कितने मृत हो गए ? क्यों एक यातायात सम्हालने के लिए एक व्यक्ति गणवेश में चाहिए जो हेलमेट न लगाने के सरकारी जुर्माने नियमानुसार 1,000 के बदले 200 रूपये लेकर वाहन चालक को जाने देता है ? 15 लाख रेल कर्मचारियों में लगभग एक लाख लोग इसी काम में लगे हैं कि यात्री के पास टिकट है या नहीं ? क्या सिर्फ ''रेल आपकी संपत्ति है'' लिखना ही पर्याप्त है? क्यों कोई संवाद नहीं है शासन और शासित के बीच जहाँ ईमनदारी को बोया जा सके ? उच्च श्रेणी रेल के डब्बों से रेल यात्रियों द्वारा चादरों की चोरी रोकने का कोई उपाय है क्या ? शायद बिना टिकट चलना, ट्रैफिक सिग्नल को तोड़कर निकल जाना एक पीढ़ीगत समस्या है जिसका उपचार जीवन के प्रारंभिक काल में होना आवश्यक है. ■

– मो. 9425011865. Email : deepak_bhasin35@hotmail.com

गगन का चाँद

– रामधारी सिंह दिनकर

रात यों कहने लगा मुझसे गगन का चाँद,
आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है !
उलझनें अपनी बनाकर आप ही फंसता,
और फिर बेचैन हो जगता, न सोता है।

जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूं ?
मैं चुका हूं देख मनु को जनमते–मरते,
और लाखों बार तुझ–से पागलों को भी
चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते।

आदमी का स्वप्न ? है वह बुलबुला जल का,
आज उठता और कल फिर फूट जाता है,
किन्तु, तो भी धन्य, ठहरा आदमी ही तो ?
बुलबुलों से खेलता, कविता बनाता है।

मैं न बोला, किन्तु, मेरी रागिनी बोली,
चाँद ! देख फिर से, मुझको जानता है तू ?
स्वप्न मेरे बुलबुले हैं ? है यही पानी ?
आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू?

मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते,
आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ,
और उस पर नींव रखती हूं नये घर की,
इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूं।

मनु नहीं, मनु–पुत्र है यह सामने, जिसकी
कल्पना की जीभ में भी धार होती है,
बाण ही होते विचारों के नहीं केवल,
स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है।

स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे,
''रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे,
रोकिये, जैसे बने इन स्वप्न वालों को,
स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे।''

कुशल और त्वरित न्याय - एक स्वप्न

अंग्रेजी काल से ही न्यायालय शोषण और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये थे। उसी समय यह धारणा बन गयी थी कि जो अदालत के चक्कर में पड़ा, वह बर्बाद हो जाता है। भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अब आम बात हो गयी है। सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों पर महाभियोग की कार्यवाही हो चुकी है। न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार में – घूसखोरी, भाई भतीजावाद, बेहद धीमी और बहुत लंबी न्याय प्रक्रिया, बहुत ही ज्यादा मंहगा अदालती खर्च, न्यायालयों की भारी कमी और पारदर्शिता की कमी, कर्मचारियों का भ्रष्ट आचरण आदि जैसे कारकों की प्रमुख भूमिका है।

आमतौर पर कहा जाता है कि फलां वकील के पास जाइए, वह निश्चित रूप से आपकी जमानत करवा देगा। उस ''निश्चित रूप से'' का एक अर्थ होता है। यही भ्रष्टाचार है। परन्तु अदालतों ने अपने आप को पूरी तरह से ऐसे आवरण में ढांप रखा है कि कभी इस पर न कोई खबर छपती है, न कोई कार्रवाई होती है। कानून ऐसा है कि आज न्यायाधीश को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यह तो छोड़िए, आप उनके खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति रखने का मुकदमा नहीं बना सकते। कानून ऐसा है कि अगर कोई न्यायाधीश इस प्रकार की स्थितियों में पाया जाए तो उस पर होने वाली कार्रवाई को सार्वजनिक नहीं किया जाता।

वैसे विगत सात दशकों में राज्य के तीन अंगों के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो न्यायपालिका को ही बेहतर माना जाएगा। अनेक अवसरों पर उसने पूरी निष्ठा और मुस्तैदी से विधायिका और कार्यपालिका द्वारा संविधान उल्लंघन को रोका है, लेकिन अदालतों में विचाराधीन मुकदमों की तीन करोड़ की संख्या का पिरामिड देशवासियों के लिए चिंता और भय उत्पन्न कर रहा है। अदालती फैसलों में पांच साल लगना तो सामान्य–सी बात है, लेकिन बीस–तीस साल में भी निपटारा न हो पाना आम लोगों के लिए त्रासदी से कम नहीं है। न्याय का मौलिक सिद्धांत है कि विलंब का मतलब न्याय को नकारना होता है। देश की अदालतों में जब करोड़ों मामलों में न्याय नकारा जा रहा हो तो आम आदमी को न्याय सुलभ हो पाना आकाश के तारे तोड़ना जैसा होगा। वस्तुतः अदालतों में त्वरित निर्णय न हो पाने के लिए यह कार्यप्रणाली ज्यादा दोषी है जो अंग्रेजी शासन की देन है और उसमें व्यापक परिवर्तन नहीं किया गया है। कई मामलों में तो वादी या प्रतिवादी ही प्रयास करते हैं कि फैसले की नौबत ही नहीं आ पाए। समाचार–पत्रों और टीवी के बावजूद नोटिस तामीली के लिए उनका सहारा नहीं लिया जाता और नोटिस तामील होने में वक्त जाया होता रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि कानूनों में सुधार करके जमानत और अपीलों की चेन में कटौती की जाए और पेशियां बढ़ाने पर बंदिश लगाई जाए। हालांकि देश में भ्रष्टाचार इतना सर्वव्यापी हुआ है कि कोई भी कोना उसकी सड़ांध से बचा नहीं है। 2007 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की प्रतिवेदन अनुसार नीचे के स्तर की अदालतों में लगभग 2630 करोड़ रुपया बतौर रिश्वत दिया गया। पश्चिम बंगाल के न्यायमूर्ति सेन और कर्नाटक के दिनकरन

जैसे मामले प्रकाश में आने से न्यायपालिका की धवल छवि पर कालिख के छींटे पड़े हैं। मुकदमों के निपटारे में विलंब का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। उच्चत्तम न्यायालय और हाईकोर्ट के जजों को हटाने की सांविधानिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कार्रवाई किया जाना बहुत कठिन होता है। न्यायिक आयोग के गठन का मसला सरकारी झूले में वर्षो से झूल रहा है।

उच्चत्तम न्यायालय द्वारा बच्चों के शिक्षा अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार, राजनेताओं के अपराधीकरण, मायावती का पुतला प्रेम जैसे अनेक मामलों में दिए गए नुमाया फैसले, रिश्वतखोरी के चंद मामलों और विलंबीकरण के असंख्य मामलों की धुंध में छुप–से गए हैं। यद्यपि कुछ मामले भारत की गर्वोन्नत न्यायपालिका की चमचमाती मिसाल है, जहां सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश उन पर सूचना का अधिकार लागू न होने का दावा करते हैं और दिल्ली हाईकोर्ट उनकी राय से असहमत होकर पिटीशन खारिज कर देता है। यह सुप्रीम कोर्ट ही है, जिसने आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों, देश के विधि मंत्री हों या अन्य और लंबित मुकदमों के अंबार को देखकर चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन किसी को हल नजर नहीं आता है। उधर, सुप्रीम कोर्ट अदालतों में जजों की कमी का रोना रोता है। उनके अनुसार उच्च न्यायालय के लिए 1500 और निचली अदालतों के लिए 23000 जजों की आवश्यकता है। अभी की स्थिति यह है कि उच्च न्यायालयों में ही 280 पद रिक्त पड़े हैं। जजों की कार्य कुशलता के संबंध में हाल में सेवानिवृत्त हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिलाई नाज ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लिए कई जज फौजदारी मामले डील करने में असक्षम हैं। 1998 के फौजदारी अपीलें बंबई उच्च न्यायालय में इसलिए विचाराधीन पड़ी हैं, क्योंकि कोई जज प्रकरण का अध्ययन करने में दिलचस्पी नहीं लेता। वैसे भी पूरी सुविधाएं दिए जाने के बावजूद न्यायपालिका में सार्वजनिक अवकाश भी सर्वाधिक होते हैं। पदों की कमी और रिक्त पदों को भरे जाने में विलंब ऐसी समस्याएं हैं, जिनका निराकरण जल्दी हो। हकीकत तो यह है कि न्यायपालिका की शिथिलता और अकुशलता से तो अपराध और आतंकवाद तक को बढ़ावा मिलता है.

कुल मिलाकर एक त्वरित पारदर्शी और न्याय व्यवस्था आज भी स्वप्न है देश के सामने. ■

'स्वच्छ भारत' : एक संकल्पित स्वप्न

– प्रो. मनोज डोगरा

स्वच्छ भारत और स्वच्छता अभियान, एक देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प और दूसरा देश को स्वच्छ भारत के रूप में देखने का स्वप्न, हर एक भारतीय अपनी आंखों व जहन में लेकर सोता व उठता है। स्वच्छ भारत अभियान जिसे स्वच्छ भारत मिशन के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा स्वच्छता अभियान है जिसका उद्देश्य भारत की अधारभूत संरचनाओ तथा सड़कों, नदियों और गलियों व वातावरण आदि को साफ–सुथरा करना है। इस अभियान का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्तूबर 2014 को किया गया था। आज परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि किसी को स्वच्छ भारत अभियान के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं कि क्या है स्वच्छता अभियान और स्वच्छ भारत। बच्चे–बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक जन–जन के जेहन में एक ही सपना पलता है और वो सपना स्वच्छ भारत के संकल्प को साकार करने का ही सपना है। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रकृति का वरदान एक आदर्श रूप में प्राप्त है। लेकिन चिंतन का विषय यह है कि पता तो सब को है, पर करेगा कौन? क्या सरकार करेगी? या सरकार जाने के बाद दूसरी सरकार आने पर यह अभियान भी बंद बक्से में कैद हो जाएगा। सोचने का विषय है कि क्या गंगा सफाई से भारत साफ हो जाएगा या मिशन ही चलेंगे, यह चिंतनीय है। भारत की संस्कृति में प्राचीन काल से ही प्रत्येक त्यौहार व पर्व का गहरा संबंध प्रकृति और स्वच्छता से रहा है, चाहे दिवाली हो या नवरात्र पर्व हो या नव वर्ष का आगमन। प्रत्येक त्योहार के आने पर साफ–सफाई की परंपरा और संस्कृति रही है। यहां तक कि आज पूरा देश स्वतंत्रता के 75 वर्षों के रूप में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को भी एक प्रकार से स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम के रूप में मना रहा है जो कि देशवासियों के स्वच्छता प्रेम व विचार को दर्शाता है।

देश को स्वच्छ बनाने की होड़ में तरह–तरह की नीतियां, विधियां, कार्यक्रम इत्यादि अमल कराई जा रही हैं। सरकारी उपक्रमों में आयोजित स्वच्छ भारत पखवाड़ा उनमें से एक है। परंतु सवाल यह उठता है कि क्या इस अभियान को सफल बनाने में केवल सरकार का ही पूर्ण उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारी है? आज जितने भी देश भारत से हर मायने में उच्च हैं, उनके विकास एवं प्रगति में उस देश की जनता का बहुमूल्य योगदान है। बाहर के देशों में जाकर हम भारतवासी वहां की स्वच्छता की तारीफ करते नहीं थकते। विदेश में उनके कानूनों का बराबर पालन करते हैं। भारत की विदेश से तुलना करते हैं एवं अपने ही देश में फैली गंदगी, स्वच्छता के अभाव के लिए सरकार को दोषी मानते हैं। क्या समाज की, इस देश के हर नागरिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदारी एवं जवाबदेही भी है। देश के हर नागरिक का यह फर्ज बनता है कि वह अपने घर को ही नहीं, अपने आस–पड़ोस, अपने नगर वातावरण को स्वच्छ रखने में जितना हो सकता है, उतना योगदान दे। गंदगी को न फैलाए, कूड़ेदान में ही कचरा फैंके तथा अपने परिवार एवं अपने बच्चों को सफाई की तरफ जागरूक एवं प्रेरित करे। स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमारा वातावरण स्वच्छ है, हवा–पानी साफ है, तो उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर हम छोटी उम्र से ही बच्चों के मन में यह विचार एवं मूल्य डालेंगे, तभी उनका और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित होगा। कहा भी जाता है कि प्रत्येक कार्य मजबूत दृढ़ निश्चय व इच्छा शक्ति से ही संभव है, तो ऐसा ही एक दृढ़ निश्चय व संकल्प प्रत्येक देशवासी को अपने दैनिक जीवन की व्यावहारिकता में लाना होगा।

आवश्यकता सरकारी कड़ेपन की भी महसूस की जाती है। प्लास्टिक के स्थान पर वैकल्पिक नए प्रयोग व शोध से कपड़े के थैलों व प्रकृतिमित्र वस्तुओं को व्यवहार में लाना होगा। स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण दैनिक विषयों को प्राथमिकता के साथ स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि बच्चे स्वच्छता के महत्व को अपने बाल्यकाल से ही समझ सकें। देश में स्वच्छता शिक्षा को अपनाने की आवश्यकता है क्योंकि इस अभियान को सफल बनाने में युवा वर्ग की भी अहम भूमिका है। आज के युवा आशावादी भी हैं। अगर इस देश का हर नागरिक स्वच्छता की ओर सचेत रहे तथा अपनी भूमिका की तरफ सजग रहे तो वे दिन दूर नहीं जब भारत का 'क्लीन इंडिया–ग्रीन इंडिया' का सपना साकार होगा।

ऐसा नहीं है कि समाज जागरूक नहीं है। समाज के विभिन्न वर्गों ने आगे आकर स्वच्छता के इस जन अभियान में हिस्सा लिया है और अपना योगदान दिया है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर जवानों तक, बालीवुड के अभिनेताओं से लेकर खिलाडियों तक, उद्योगपतियों से लेकर अध्यात्मिक गुरुओं तक, सभी ने इस महान काम के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। स्वच्छ भारत एक जन–आंदोलन का रूप ले चुका है क्योंकि इसे जनता का अपार समर्थन मिला है। बड़ी संख्या में नागरिकों ने भी आगे आकर साफ–सुथरा भारत बनाने का प्रण किया है। स्वच्छ भारत अभियान के आरंभ के बाद गलियों की सफाई के लिए झाड़ू उठाना, कूड़े–कर्कट की सफाई, स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित करना और अपने चारों ओर स्वास्थ्यवर्धक वातावरण बनाना अब जनता की प्रकृति बन गई है। इस संकल्पित स्वप्न को हमें और भी दृढ़ करना होगा। ■

(लेखक हमीरपुर से हैं। साभार दिव्य हिमाचल)

हमारा स्वप्न - एक सी शिक्षा, सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा

देश में एक जैसी शिक्षा, सस्ती शिक्षा व सबको शिक्षा मिलनी चाहिए और सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कई बार अपने निर्णय में कहा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। केंद्र व राज्य सरकारों को इसको रोकने के लिए कार्य करना चाहिए लेकिन उसके बावजूद आज शिक्षा का व्यवसायीकरण चरम सीमा पर है। सरकारी शिक्षा का बुरा हाल है। शिक्षा दो वर्गों में बट गई है धनाढ्य वर्ग के बच्चों के लिए महंगे प्राइवेट स्कूल, और गरीब व मध्यम वर्ग के लिए बच्चों के लिए सरकारी या छोटे–मोटे प्राइवेट स्कूल। यह असमानता दूर होनी चाहिए। आज समय की मांग है कि पूरे देश में एक जैसी शिक्षा, सबको शिक्षा व सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार सरकारी शिक्षा में सुधार किया जाए, शिक्षा का व्यवसायीकरण करने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान किया जाए, प्राइवेट शिक्षा देने वाले संस्थानों का हर साल सीएजी से ऑडिट कराया जाए, कालेज व स्कूल की मैनेजमेंट में अभिभावकों की व अध्यापकों की भागीदारी होनी चाहिए, सभी सरकारी स्कूलों का स्तर केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर होना चाहिए।

दुनियाभर में जी.डी.पी. की तुलना में शिक्षा पर किये जा रहे खर्च के मामले में हमारा देश 143वें नंबर पर है। क्यूबा की सरकार जी.डी.पी. का 13 प्रतिशत, नॉर्वे 8 प्रतिशत, कनाडा में 5.5 प्रतिशत, चीन में 4 प्रतिशत और भारत में यह केवल 3.1 प्रतिशत है। सरकार द्वारा शिक्षा पर इतना कम खर्चा किये जाने का नतीजा यह हुआ है कि अधिकांश सरकारी स्कूलों में शिक्षक, शौचालय, प्रयोगशाला, इत्यादि सुविधाओं की भारी कमी है। आज देशभर में लगभग 10 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। देशभर में सरकारी सहायता प्राप्त 12 लाख स्कूलों में से अधिकतर स्कूलों में केवल 2 शिक्षक हैं। एक लाख स्कूलों में तो सभी कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाने के लिए केवल एक ही शिक्षक है। 6000 स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं हैं। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर तो उत्तर प्रदेश में आधे से अधिक शिक्षकों के पद खाली है। कई स्कूलों में माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले कई शिक्षकों को एक साथ सभी विषयों को पढ़ाना पड़ता है। शिक्षकों को निर्धारित स्तर के वेतन पर भर्ती करने की बजाय अधिकांश राज्य सरकारें पिछले 20 वर्षों से शिक्षकों को अस्थायी ठेके पर भर्ती कर रही हैं। इन शिक्षकों को "अतिथि शिक्षक" कहा जाता है और सामान्य नियमित शिक्षक की तुलना में उन्हें आधे से भी कम वेतन दिया जाता है।

जब केंद्र सरकार अन्य विकास कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च करती है, तो फिर सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन क्यों नहीं दिया जा रहा ? कक्षा में शिक्षकों की कमी का मतलब है जो छात्र ऐसे स्कूलों में जाते हैं, जहां वे कुछ भी नहीं या बहुत कम सीख पाते हैं। वार्षिक शिक्षा सर्वे (ए.एस.ई.आर. 2019) की सबसे ताजा

रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा के केवल 46 प्रतिशत बच्चे वर्णमाल के अक्षरों को पढ़ पाते हैं, 54 प्रतिशत बच्चे 1 से 9 के अंकों को पढ़ पाते हैं। तीसरी कक्षा के केवल आधे बच्चे पहली कक्षा की एक सामान्य किताब पढ़ पाते हैं।

सरकारी स्कूलों से बच्चों के निकल जाने (ड्राप–आउट) की प्रमुख वजह में से एक वजह है कि वे स्कूल में कुछ सीख नहीं पाते हैं। सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाले 100 बच्चों में से केवल 70 बच्चे 5वीं कक्षा से आगे पढ़ पाते हैं और केवल 50 बच्चे 8वीं कक्षा, 40 बच्चे 9वीं कक्षा और 20 बच्चे 12वीं कक्षा में जा पाते हैं। जैसे–जैसे सरकारी स्कूलों का दर्जा गिरता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा माता–पिता अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वे अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल की फीस पर खर्च करने को मजबूर हैं। केवल वही बच्चे सरकारी स्कूलों में रह गए हैं जो भारी फीस का खर्च नहीं उठा सकते। आज देशभर के करीब 35 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी प्रकार के निजी स्कूलों में जा रहे हैं, जबकि बाकी 65 प्रतिशत बच्चे सरकारी या सरकार सहायता प्राप्त स्कूलों में जा रहे हैं। अधिकांश निजी स्कूलों की गुणवत्ता बेहद खराब है। ये स्कूल बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने का दावा करते हैं और माता–पिता से ऊंची फीस वसूलते हैं, जबकि कक्षा चलाने के लिए अप्रशिक्षित शिक्षकों को काम पर लगाकर उन्हें बेहद कम वेतन देते हैं।

एक समान स्कूली व्यवस्था की जगह पर आज कई स्तरों के स्कूलों की एक व्यवस्था है, जहां प्रत्येक स्तर अलग तबके के बच्चों को दाखिला देता है। हर एक बड़े शहर में दर्जन भर ऐसे स्कूल हैं जो सबसे ऊंची गुणवत्ता की शिक्षा के साथ अंतर्राष्ट्रीय के प्रमाणपत्र देते हैं, जहां मासिक फीस 50,000 रुपये से अधिक है। इसके अलावा ऐसे हजारों निजी स्कूल हैं जो बहुत–अच्छी से लेकर बहुत बदतर गुणवत्ता की शिक्षा देते हैं, जहां मासिक फीस 3,000 से 16,000 रुपये के बीच है। इसके अलावा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भी कई स्तर हैं। चंद स्कूलों पर भारी खर्च किया जाता है, जैसे कि

ग्रामीण जिलों में नवोदय विद्यालय। इसी तरह से शहरी इलाकों में कुछ सरकारी स्कूलों पर पर्याप्त खर्चा किया जाता है। इसके अलावा केन्द्रीय विद्यालय हैं जहां सेना के अधिकारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को दाखिला दिया जाता है।

स्कूल–पूर्व शिक्षा के पड़ाव से ही शिक्षा की गुणवत्ता में भारी अंतर शुरू हो जाता है। 6 से 9 वर्ष की उम्र का यह पड़ाव इंसान के मानसिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चों के एक बेहद छोटे तबके को इस उम्र में अच्छी गुणवत्ता वाले नर्सरी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है। अधिकांश बच्चे सरकार के आंगनवाड़ी केंद्रों में जाते हैं, जहां एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी डाली जाती है। इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न तो प्रशिक्षण दिया गया है, न ही उन्हें अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिला है और उन्हें बेहद कम पैसे दिए जाते हैं। अधिकांश गरीब परिवारों के बच्चे इस उम्र में किसी भी तरह के स्कूल में नहीं जाते हैं। 2010 में संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। लेकिन हमारे देश में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा केवल कुछ मुट्ठीभर बच्चों को ही नसीब होती है। यदि शिक्षा एक अधिकार है तो फिर क्यों यह अधिकार सभी बच्चों को हासिल नहीं है?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया है कि सभी निजी स्कूलों में जिनको किसी भी तरह की सरकारी सहायता दी गयी है, उन्हें 8वीं कक्षा तक 25 प्रतिशत सीटें ऐसे परिवारों के बच्चों के लिया आरक्षित करना अनिवार्य है जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आते हैं, जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ई.डब्ल्यू.एस.) कहा जाता है। निजी स्कूलों में इन बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार पैसा देती है। गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा का समान अवसर दिलाने की दिशा में इस प्रावधान को एक बहुत बड़ा कदम बताया गया था। लेकिन असलियत में इस ई.डब्ल्यू.एस. कोटा से भ्रष्टाचार की एक नयी व्यवस्था पैदा हो गयी है, जहां मध्यम आय पाने वाले परिवार फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं। ई.डब्ल्यू. एस. के नियमों के अनुसार परिवार की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यह सीमा इतनी कम है कि एक मजाक लगती है, क्योंकि यह सरकार द्वारा निर्धारित कानूनी न्यूनतम वेतन से भी कम है। इस वजह से अधिकांश परिवार जो अपने बच्चों का दाखिला ई.डब्ल्यू.एस. कोटा के तहत करना चाहते हैं, वे अपनी आय के बारे में झूठ बोलने को मजबूर हो जाते हैं। यदि किसी परिवार की वार्षिक आय वाकई में 1 लाख से कम है और वह अपने बच्चे को दाखिला दिलाने में सफल हो भी जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी आय 1 लाख रुपये की सीमा को पार कर जाती है तो उससे सरकारी अनुदान की सुविधा छीन ली जाती है। इसके अलावा जैसे ही बच्चा 9वीं कक्षा में जाता है, उसके माता–पिता को स्कूल की पूरी फीस भरनी पड़ती है। ई.डब्ल्यू.एस. कोटा के तहत जिन गरीब परिवारों के बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिला मिलता है, वहां उनकी तादाद बहुत कम होती है और वे इन स्कूलों में अच्छी तरह से मेलजोल नहीं कर पाते हैं। उनको एक ऐसे वातावरण में रहना पड़ता है जहां उनके सहपाठियों के पास खर्चा करने के लिए ढेर सारा पैसा होता है और इससे उनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ई.डब्ल्यू. एस. समान स्कूल व्यवस्था का विकल्प नहीं हो सकता। यह सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा की जरूरत कभी भी पूरी नहीं कर सकता, जो हर एक बच्चे का बुनियादी अधिकार है।

हर बच्चे के लिए शिक्षा एक सार्वभौमिक अधिकार है, जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, यह तभी संभव हो सकता है जब एक समान शिक्षा व्यवस्था कायम की जाए। आजादी के 70 साल बाद अभी तक यह नीतिगत उद्देश्य क्यों हासिल नहीं किया जा सका ? सभी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा समान गुणवत्ता की क्यों नहीं है ?

शिक्षा में सामाजिक आधार पर स्तर–विभाजन और स्कूली शिक्षा हासिल करने में भारी गैर–बराबरी, दुनियाभर में औद्योगिक क्रांति से पूर्व के समाज में एक आम बात थी। अनेक देशों में समान स्कूली शिक्षा व्यवस्था आज भी मौजूद हैं। इन देशों में आज भी करीब–करीब सभी बच्चों को एक समान गुणवत्ता की शिक्षा हासिल है। पर हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ।इसकी वजह यह है कि हमारा समाज आज भी इस आधार पर बना हुआ है कि केवल कुछ ही लोग अच्छी शिक्षा पाने के लायक हैं। बर्तानवी राज ने अपने प्रशासन तंत्र ने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जो इस तरह के चंद मुट्ठीभर लोगों को पैदा करेगी जो अंग्रेजी बोलेंगें, जो अंग्रेजी मूल्यों को अपनाएंगे और बाकी भारतीयों का तिरस्कार करेंगे। उन्होंने स्कूल और कॉलेज की एक शिक्षा व्यवस्था बनाई जो अधिकारियों का एक ऐसा तबका तैयार करेगी जो उनके प्रति वफादार होंगे और क्लर्क का एक आज्ञाकारी तबका होगा जो उनके आदेशों का पालन करेगा।

हमारे देश में एक समान स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं, यह इसकी असली वजह है। यही इसकी असली वजह है कि क्यों शिक्षा चंद मुट्ठीभर लोगों का विशेषाधिकार है, हालांकि शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार को कानूनी रूप से स्वीकार किया गया है।

मजदूर और किसान जो कि हमारे देश की अधिकांश आबादी हैं, अपने बच्चों के लिए अपने से भी बेहतर शिक्षा चाहते हैं। यही इच्छा हमारे देश के गरीब–से–गरीब मेहनतकश परिवार की है। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें समान स्कूल व्यवस्था कायम करने के लिए सही मायने में एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। भारत को सभ्यता के ऊंचे रास्ते पर ले जाने के लिए ऐसी व्यवस्था की सख्त जरूरत है। शिक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं है। यह हम सभी का सार्वभौमिक अधिकार है। अब समय आ गया है कि हमारे देश से वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध स्कूल की व्यवस्था को खत्म किया जाये और इसकी जगह पर समान स्कूल व्यवस्था कायम की जाए। नही तो हम भारतीय का एक सी शिक्षा, सबको शिक्षा और सस्ती शिक्षा के द्वारा शिक्षित होने का सपना मात्र सपना ही रह जायेगा।■

फिर हमारा हो - पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK)

19 47 में भारत की स्वतंत्रता के समय, अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना निर्णय छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के बीच चयन करने की अनुमति दी। भारत को 1947 में आजादी मिली. तब जम्मू–कश्मीर के शासक थे महाराजा हरि सिंह. उनके पास तब दो विकल्प थे. या तो रियासत को भारत में शामिल करें या पाकिस्तान में. ये फैसला करने में हरि सिंह ने काफी समय लिया. हालांकि उस समय वह ये चाहते थे कि कश्मीर का विलय ना तो भारत में हो और ना ही पाकिस्तान में बल्कि वो इन दोनों देशों के बीच अलग देश के तौर पर बने रहे. तभी पाकिस्तान की तरफ वाले कश्मीरियों (मुस्लिम बहुल आबादी) ने हरि सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. इसे पाकिस्तान समर्थक कबायली आक्रमण कहा गया. हरि सिंह ने भारतीय सेना की मदद मांगी. भारत ने मदद के लिए हामी तो भरी लेकिन सशर्त. तब तक नुकसान तो हो चुका था. कबायलियों ने कश्मीर ने जितने हिस्से पर कब्जा कर लिया था, उस पर आज भी पाकिस्तान काबिज है. इसी हिस्से को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं. भारतीय सेना ने तब जो शर्त कश्मीर के महाराजा के सामने रखी थी, उसके अनुसार जम्मू कश्मीर को खुद को भारत के राज्य के तौर पर स्वीकार करना था. भारत को रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे हक को स्वीकार करना था. हरि सिंह ने इसे कबूल किया. तब तक विद्रोहियों ने बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था. बाद में सियासत देखते हुए इस हिस्से के कश्मीरियों ने खुद को आजाद घोषित किया. तबसे ये इलाका आजाद कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) कहलाता है.

पीओके का कुल क्षेत्रफल करीब 13,300 वर्ग किलोमीटर है, जहां करीब 40 लाख लोग रहते हैं. वैसे तो यह हिस्सा अधिकतर गुमनामी में रहता है लेकिन पीओके पर सीधे तौर पर पाकिस्तान का दखल है. भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस हिस्से पर अपने अधिकार क्षेत्र का दावा करते रहे हैं. इस हिस्से को फिर भारत के पास ले आने की बात हमेशा होती है. ये मुद्दा लगातार गर्माया भी रहता है. इस समय भी ये हिस्सा गर्माया हुआ है. यहां के लोग गुस्से में हैं. उन्हें लग रहा है कि वो लगातार पाकिस्तान के अन्याय को झेल रहे हैं. इसी वजह से वहां हमेशा आजादी के नारे लगते हैं. पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होता रहता है. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर दो हिस्सों में बंटा हुआ है, जिन्हें आधिकारिक भाषाओं में जम्मू–कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है. इन दोनों हिस्सों को मिलाकर आजाद कश्मीर कहा जाता है. पाक अधिकृत कश्मीर का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर प्रधानमंत्री होता है, जो अपने मंत्रियों की परिषद के साथ काम करता है. पाक अधिकृत या आजाद कश्मीर दावा करता है कि उसकी अपनी सरकार है लेकिन सच ये है कि ये सरकार पाकिस्तान के नियंत्रण में ही काम करती है. पीओके का अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है. ये कश्मीर का ही हिस्सा है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर, चीन के झिनझियांग और भारत के कश्मीर के पूर्व से मिलती हैं. पीओके का इलाका भारतीय कश्मीर से करीब तीन गुना ज्यादा है. पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है. यहां 8 जिले मीरपुर, भीमबर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, सूधानोटी और रावलकोट के अलावा 19 तहसीलें और 182 संघीय परिषदें हैं. पाक अधिकृत कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हुनजा गिलगिट, शक्सगाम घाटी और रक्साम है. बाल्टिस्तान के इलाके 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंपे थे. इस सत्तांतरित इलाके को ट्रांस काराकोरम कहा जाता है.

पीओके के नागरिक बाकी पाकिस्तान की तुलना में खाड़ी देशों से ज्यादा जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से, पीओके एक मामूली कृषि अर्थव्यवस्था थी, जिसमें पुरुष और महिलाएँ खेतों में काम करते थे। हालाँकि, पाकिस्तानी सरकार की नीतियों और पीओके में नौकरी के अवसरों की कमी ने अप्रवासियों को काम और नए अवसरों की तलाश में खाड़ी देशों में आने के लिए मजबूर किया। पीओके में बेरोजगारी सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को हवा देने वाला एक और कारक है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, पीओके में बेरोजगारी की दर आश्चर्यजनक रूप से 33 प्रतिशत है। रोजगार के अवसरों की कमी के कारण, पीओके के युवाओं के आजीविका के लिए खाड़ी देशों में पलायन करने की उम्मीद है। परिणामस्वरूप, आत्मनिर्भर कृषि अर्थव्यवस्था का पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा गया है, जिससे पीओके में एक नया बाजार स्थापित हो गया है जो संभावित कारकों के प्रति अधिक संवेदनशील है।

पीओके के लोग मुख्य तौर से कृषि पर निर्भर हैं. मक्का, गेहूं, वन्य उत्पाद और पशुपालन यहां की आय के मुख्य स्रोत हैं. इस इलाके में कोयले व चॉक के कुछ रिजर्व हैं, बॉक्साइट भी पाया जाता है. यहां के उद्योग प्रमुखतः लकड़ी की चीजें, कपड़ा और कालीन जैसे उत्पाद बनाते हैं. कृषि से यहां मशरूम, शहद, अखरोट, सेब, चेरी, कुछ औषधियां, मेवा और जलाऊ लकड़ी मिलती है. पश्तो, उर्दू, कश्मीरी और पंजाबी इस इलाके की प्रमुख भाषाएं हैं. पाकिस्तान यहां के लोगों को भारत के खिलाफ आतंकवाद के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है. मुंबई हमलों के दोषी अजमल कसाब की ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में ही हुई थी.

आजादी के समय से ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिये भी विधानसभा सीटों की व्यवस्था की गई है, जिनको आज तक भरा नहीं जा सहा। देशवासियों का सदा से यह स्वप्न रहा है कि हमारे पास यह हिस्सा वापस आये। ■

स्वप्न - भ्रष्टाचार मुक्त भारत

भारत में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थानों की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था को ठप्प करने के लिए भ्रष्टाचार को उत्तरदायी ठहराया जाता है। 2005 में ट्रान्सपैरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए एक अध्ययन में दर्ज किया गया कि 62 प्रतिशत से अधिक भारतीयों ने किसी न किसी समय पर एक सार्वजनिक अधिकारी को रिश्वत दी। 2008 में, एक अन्य रिपोर्ट में पाया गया कि लगभग 50 प्रतिशत भारतीयों को रिश्वत देने या सार्वजनिक कार्यालयों द्वारा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सम्पर्कों का उपयोग करने का प्रत्यक्ष अनुभव था। वर्ष 2022 में उनके भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ने देश को 180 में से 85वें स्थान पर रखा, इस पैमाने पर जहां सबसे कम रैंक वाले देशों को सबसे ईमानदार सार्वजनिक क्षेत्र माना जाता है। सरकारी समाज कल्याण योजनाओं से धन की हेराफेरी करने वाले अधिकारियों सहित भ्रष्टाचार में विभिन्न कारकों का योगदान है। उदाहरणों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान सम्मिलित है. भ्रष्टाचार के अन्य क्षेत्रों में भारत का सामान ढुलाई उद्योग शामिल है, जो अंतर्राज्यीय राजमार्गों पर कई नियामकों और पुलिस विभाग को वार्षिक अरबों रुपये की रिश्वत देने के लिए विवश है। भारत में भ्रष्टाचार के कारणों में अत्यधिक नियम, जटिल कर और लाइसेंस प्रणाली, अपारदर्शी नौकरशाही और विवेकाधीन शक्तियों वाले कई सरकारी विभाग, कुछ वस्तुओं और सेवाओं के वितरण पर सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों का एकाधिकार, और पारदर्शी कानूनों और प्रक्रियाओं की कमी शामिल हैं। भ्रष्टाचार के स्तर में और पूरे भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं।

भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट–आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का मतलब है आचरण। अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। किसी को निर्णय लेने का अधिकार मिलता है तो वह एक या दूसरे पक्ष में निर्णय ले सकता है। यह उसका विवेकाधिकार है और एक सफल लोकतन्त्र का लक्षण भी है। परन्तु जब यह विवेकाधिकार वस्तुपरक न होकर दूसरे कारणों के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है तब यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है अथवा इसे करने वाला व्यक्ति भ्रष्ट कहलाता है। किसी निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी धन पर अथवा अन्य किसी लालच के कारण करता है तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हाल ही के वर्षों में जागरुकता बहुत बढ़ी है। जिसके कारण भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम–1988, सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट आदि बनाने के लिये भारत सरकार बाध्य हुई है।

आजादी के बाद से ही सरकार पर काबिज तंत्र ने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढावा दिया. 1948 का जीप घोटाला (वी के कृष्ण मेनन), 1951 का मुद्गल मामला, 1962 का भ्रष्टाचार मिटाने के लिए संस्तुति देने हेतु

लाल बहादुर शास्त्री द्वारा सन्तानम समिति गठित, समिति ने अपनी टिप्पणी में कहा, पिछले 16 वर्षों में मन्त्रियों ने अवैध रूप से धन प्राप्त करके बहुत सारी सम्पत्ति बना ली है, 1971 का नागरवाला घोटाला, 1986 का बोफोर्स घोटाला, इसमें राजीव गांधी पर दलाली का आरोप था, 1993 का झारखण्ड मुक्ति मोर्चा घूस काण्ड (पी वी नरसिंह राव पर आरोप), 1996 का चारा घोटाला (लालू प्रसाद यादव को इसमें दोषी पाया गया।), 2013 का आगस्ता वेस्टलैण्ड हेलिकॉप्टर घोटाला कुछ उल्लेखनीय दृष्टांत हैं. भारत के आर्थिक घोटालों के आंकड़ें भयावह हैं, बोफोर्स घोटाला – 64 करोड़ रुपये, यूरिया घोटाला – 133 करोड़ रुपये, चारा घोटाला– 950 करोड़ रुपये, शेयर बाजार घोटाला– 4000 करोड़ रुपये, सत्यम घोटाला– 7000 करोड़ रुपये, स्टैंप पेपर घोटाला– 43 हजार करोड़ रुपये, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला– 70 हजार करोड़ रुपये, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला– 1 लाख 67 हजार करोड़ रुपये, अनाज घोटाला– 2लाख करोड़ रुपए (अनुमानित), कोयला खदान आवंटन घोटाला– 12 लाख करोड़ रुपये.

वैसे पिछले 10 सालों में भारत की स्थिति सुधर रही है। भ्रष्टाचार में कार्यवाही के संकेत मिल रहे हैं। विगत वर्ष बंगाल और झारखंड में नेताओं से भारी मात्रा में नगदी वसूली की गई है। सूचना के अधिकार ने सरकारी मनमानी पर कुछ न कुछ लगाम अवश्य कसी है। परन्तु अभी बहुत आगे जाना है।

राजनीतिक पार्टियों का मूल उद्देश्य सत्ता पर काबिज रहना है। इन्होंने युक्ति निकाली है कि गरीब को राहत देने के नाम पर अपने समर्थकों की टोली खड़ी कर लो। कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारी भरकम नौकरशाही स्थापित की जा रही है। सरकारी विद्यालयों एवं अस्पतालों का बेहाल सर्वविदित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 40 प्रतिशत माल का रिसाव हो रहा है। मनरेगा के मार्फत् निकम्मों की टोली खड़ी की जा रही है। उपाय है कि तमाम कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त करके बची हुयी रकम को प्रत्येक मतदाता को सीधे रिजर्व बैंक के माध्यम से वितरित कर दिया जाये। प्रत्येक परिवार को रुपये प्रति माह मिल जायेंगे जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को पर्याप्त होगा। उन्हें मनरेगा में बैठकर फर्जी कार्य का ढोंग नहीं रचना होगा। वे रोजगार करने और धन कमाने को निकल सकेंगे। एक अन्य उपाय सरकारी तंत्र के निर्णय के अधिकारों को अधिकाधिक कम्प्यूटरीकृत करना भी है ताकि पक्षपातपूर्ण निर्णय की आड़ में भ्रष्ट आचरण पर रोक लग सके। ■

आर्थिक समानता - अधूरा स्वप्न

निस्संदेह भारत एक अत्यधिक विषमतापूर्ण अर्थव्यवस्था है। कोविड–19 के दौरान अत्यंत अमीर लोगों की संपत्ति में हुई वृद्धि की तुलना पैदल ही अपने गाँव लौटने को विवश उन लाखों प्रवासी श्रमिकों की विपदा के साथ करें तो देश में आर्थिक विषमताओं की चरम स्थिति स्पष्ट नजर आ जाती है। अवसरों में असमानता को प्रभावित करने वाले कारकों में किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का वर्ग, उसके जन्म का घर, उसके माता–पिता कौन हैं– ये सभी विषय उसकी शैक्षिक उपलब्धि, रोजगार और आय की संभावनाओं पर उल्लेखनीय प्रभाव डालते हैं और इसके परिणामस्वरूप उसके गंतव्य/उपलब्धि का वर्ग तय करते हैं। पीढ़ी–दर–पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता के निम्न स्तर पर स्थित कमजोर/वंचित परिवारों में पैदा होने वाले बच्चों के लिये आय की सीढ़ी पर आगे बढ़ने की संभावना कम होती है।

भारत एक धनाढ्य देश है, परन्तु यहां के अधिसंख्य निवासी निर्धन हैं। ऐसा विरोधाभासी कथन भारत के बारे में सुनने में आता है। इसका कारण आर्थिक असमानता है। पांच उंगलियां समान तो नहीं हो सकतीं, लेकिन प्रत्येक उंगली का अपना महत्व होता है। आर्थिक असमानता का मुख्य कारण समान शिक्षा और चिकित्सा का अभाव है। सबको शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जिस दिन समान स्तर की उपलब्ध होंगी, आर्थिक असमानता कम हो जाएगी। शिक्षा का अंग्रेजी भाषा माध्यम बंद हो। हिंदी और अंग्रेजी विषय अनिवार्य हों। पूरे देश में विद्यालयों से महाविद्यालयों तक समान पाठ्यक्रम हो। आर्थिक विषमता विकास में बाधक बनी है। सामाजिक, शैक्षिक, क्षेत्रीय, औद्योगिक असमानता को दूर करना होगा। इसके लिए जरूरी है गरीबों के कल्याणार्थ योजनाओं का विस्तार और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी।

सरकार द्वारा लागू की गई गरीब कल्याण योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाए एवं पारदर्शिता बढ़ाई जाए, जिससे कि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। एक राष्ट्र एक शिक्षा लागू की जाए, जिससे सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। वही शिक्षा दी जाए, जिससे युवाओं को रोजगार मिले। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उसी की सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है। इस दिशा में असमानता की खाई को पाटने के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा। देश में विनोबा भावे द्वारा चलाए गए भू आंदोलन की तर्ज पर संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर जोर देना चाहिए। परिवारों को भी अपनी संकीर्ण मानसिकता तथा पितृसत्तात्मक सोच को त्याग कर पढ़ी लिखी घर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। देश में आर्थिक असमानता उदारीकरण की नीतियों के बाद बढ़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्थिक गतिशीलता आर्थिक असमानता को तोड़ सकती है। इसके लिए देश में व्यापक रोजगार के साधन, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार एवं मूलभूत सुविधाओं का बेहतर विकास करना होगा। तब जाकर देश में आर्थिक असमानता का कुचक्र समाप्त हो सकेगा। यह केवल एक व्यक्ति से नहीं अपितु सामूहिक एवं ताजा प्रयास से ही संभव हो सकेगा। वैसे तो देश में आर्थिक असमानता का कम होना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षित है। बड़ी संख्या में लोग नशे की लत के शिकार है। रोजगार के साधनों का अभाव है। इसलिए आर्थिक असमानता को कम करने के लिए जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करनी पडगी। सरकार को नशाखोरी रोकनी होगी। रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा। सरकार आर्थिक असमानता दूर करने के प्रयास तो करती है, पर निचले स्तर तक आते–आते भाई–भतीजावाद और भ्रष्टाचार के कारण ये प्रयास सफल नहीं होते। जरूरतमंद की पहचान के बाद ही मदद की जानी चाहिए।

देश में आर्थिक असमानता की दर को कम करने के लिए सभी नागरिकों को अवसर की समानता उपलब्ध करवाना आवश्यक है। राज्य आर्थिक संसाधनों के केन्द्रीकरण को रोककर ऐसी व्यवस्था करे, जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। सरकार को आर्थिक असमानता दूर करने के लिए नीतियों में सुधार करना होगा। सर्वप्रथम शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी को दूर किया जाए। लोगों को स्किल इण्डिया के तहत तकनीकी काम सिखाया जाए, ताकि मजदूरी नहीं मिलने पर वे इन कार्यों के जरिए कमाई कर सकें। सरकार कृषि पर खास ध्यान दे। देश में आर्थिक असमानता कम करने के लिए सरकार को जनसंख्या नियंत्रण करने का कठोर कानून बनाना चाहिए, उसमें केवल दो ही बच्चों का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही निम्न आय वर्ग वाले लोगों के इलाज और शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था हो। रोजगार के साधन बढ़ाने चाहिए, ताकि लोग अपना जीवन चला सकें। देश में आर्थिक असमानता कम करने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष में कदम रखने जा रहा है, लेकिन कई गांवों तक सड़क, बिजली तथा राशन सामग्री के दुकान भी नहीं पहुँच सकी है। इनके समाधान से ही आर्थिक असमानता में कमी लाया जा सकता है। आर्थिक असमानता कम करने के लिए आरक्षण का आधार आर्थिक भी किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में भी ओबीसी की तरह क्रीमीलेयर का प्रावधान किया जाना चाहिए। रोजगारपरक कौशल विकास, ऋण की सहज उपलब्धता और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो भारत सरकार कर सकती है। देश मे आर्थिक असमानता कम करने के लिए सबसे पहले शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा को मुफ्त कर देना चाहिए। रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, जिससे देश के लोग आत्मनिर्भर बन सकेंगे। ■

चुनाव सुधार - अब भी हैं स्वप्न

हम अक्सर अपनी राजनीतिक प्रणाली को वर्तमान हालात के लिये दोषी करार देते हैं, लेकिन क्या यह प्रणाली भाव–शून्यता में काम कर रही है ? जानकारों की माने तो इस समस्या में समाज की भी स्पष्ट भागीदारी है। हमारी राजनीतिक प्रणाली का व्यवहार समाज के प्रति उनकी प्रतिक्रिया है। इस राजनीतिक प्रणाली को सुधारने के लिये समाज और उसके तंत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यहीं से चुनावी सुधार महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिये सबसे अच्छे नागरिकों को जन प्रतिनिधियों के रूप में चुना जाए। इससे जनजीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है, साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ती है जो सकारात्मक वोट के आधार पर चुनाव जीतते हैं। लोकतंत्र की इस प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवार चुनने या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिये जो राजनीतिक दलों को चुनाव में अच्छे उम्मीदवार उतारने पर मजबूर करे। कोई भी लोकतंत्र इस आस्था पर काम करता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। यह चुनाव प्रक्रिया ही है जो चुने गए लोगों को गुणवत्ता और उनके प्रदर्शन के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को प्रभावी बनाती है।

राजनीति के जटिल आंतरिक चरित्र और गठबंधन की अंतहीन संभावनाओं के चलते भारत के चुनाव का अनुमान लगाना बेहद कठिन है। भारत के मतदाता संसद या लोकसभा के 543 सदस्यीय निचले सदन के लिये सांसदों का चुनाव करते हैं। क्षेत्र के हिसाब से दुनिया के सातवें बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले देश में चुनाव कराना बेहद जटिल कार्य है। निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित रूप से राजनीतिक दबाव डाले जाते हैं। फलस्वरूप वे निष्पक्ष रूप से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं।

भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी खामी यह है कि चुनाव से पूर्व तक मतदाता सूची अपूर्ण रहती है। संसद, विधानसभा और नगरीय निकायों के लिये अलग अलग मतदाता सूची भी अनावश्यक है। इनके कारण अनेक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में बहुलता भी चुनावी प्रणाली की एक बड़ी समस्या है। प्रायः निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रयोग वोट काटने के लिये किया जाने लगा है। जाली व फर्जी मतदान की बढ़ती प्रवृत्ति, निर्वाचन आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मचारी न होना, डाक द्वारा प्राप्त होने वाले मतों के संदर्भ में पर्याप्त अवसंरचना का अभाव इत्यादि हैं। प्रायः उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं देते हैं। वे अपनी संपत्ति, देनदारियों, आय तथा शैक्षिक योग्यता का विवरण नहीं देते हैं। चुनाव में धन की बढ़ती भूमिका हमारी

चुनाव व्यवस्था का गंभीर दोष है। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अत्यधिक चुनावी व्यय के कारण सामान्य व्यक्ति निर्वाचन को प्रक्रिया से दूर होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षो में कानून–सम्मत और असल खर्चो के बीच अंतर काफी बढ़ा है। चुनाव जीतने के लिये उम्मीदवार बाहुबल का प्रयोग करते हैं। हिंसा, धमकी और बूथ कैप्चरिंग में बाहुबल की बड़ी भूमिका होती है। यह समस्या पहले अमूमन देश के उत्तरी भागों में हुआ करती थी पर अब बाकी प्रांतों में भी फैल रही है। अपराधी व्यक्ति अपना रसूख और जनता में पैठ बनाने के लिये राजनीति में प्रवेश करते हैं और पुरजोर कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ मामलों को समाप्त कर दिया जाए या उन पर कार्यवाही न की जाए। इसमें उनकी मदद कुछ राजनीतिक दल करते हैं जो धन और रसूख के लिये इन्हें चुनाव मैदान में उतारते हैं और बदले में इन्हें राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो विशेष जाति या समूह से आते हैं। ये जाति, समूह पार्टियों पर भी दबाव डालते हैं कि उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता और जाति की संख्या के मुताबिक टिकट दिये जाएँ। जाति आधारित राजनीति देश की बुनियाद और एकता पर प्रहार कर रही है और आज जाति चुनाव जीतने में एक प्रमुख कारक बनी हुई है तथा अक्सर उम्मीदवारों का चयन उपलब्धियों, क्षमता और योग्यता के आधार पर न होकर जाति, पंथ और समुदाय के आधार पर होता है। स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद की राजनीति ने देश के तमाम हिस्सों में आंदोलनों को जन्म दिया। साथ ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने बहुलवाद और पंथ निरपेक्षता के संघीय ढ़ांचे के लिये गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।

तारकुंडे समिति (वर्ष 1974–75) के गठन के साथ ही अब तक विभिन्न समितियों एवं आयोगों ने हमारी चुनाव प्रणाली तथा चुनावी मशीनरी के साथ–साथ चुनाव प्रक्रिया की जाँच की है और सुधार के सुझाव दिये हैं। इन समितियों एवं आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर चुनाव प्रणाली, चुनाव मशीनरी और चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार किये गए हैं।

वर्ष 2000 से पूर्व चुनाव सुधार में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। चुनाव कार्यों में लगे अधिकारी,

कर्मचारियों को चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। इस अवधि में ये कर्मी चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेंगे। नामांकन पत्रों को लेकर प्रस्तावकों की संख्या में 10 फीसदी का इजाफा किया गया। राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 का अपमान करने पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना। दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना और उम्मीदवार की मौत पर चुनाव स्थगित न होना। दिसंबर 1988 में संसद द्वारा कानून में संशोधन किया गया और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में एक नई धारा जोड़ी गई जिसमें आयोग को EVM मशीनों के उपयोग का अधिकार दिया गया। इस चरण में अब तक के सबसे बड़े चुनाव सुधारों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रचलन में आना शामिल है। इसका लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी बनाना है जिससे प्राप्त परिणामों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सके। प्रयोग के तौर पर EVM का पहली बार उपयोग वर्ष 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनावों के दौरान किया गया था। वर्ष 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार म्टड का पूरे राज्य में प्रयोग हुआ।

वर्ष 2000 के बाद चुनाव सुधार के अन्तर्गत जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान की शुरूआत होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एक्जिट पोल को प्रतिबंधित कर दिया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के दौरान एक्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकता है। लोकसभा सीट के लिये चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर बड़े राज्यों में 95 लाख रुपए तक कर दिया गया है वहीं छोटे राज्यों में यह सीमा 75 लाख रुपए तक है। सरकारी कर्मचारियों और समस्त बलों को चुनाव आयोग की सहमति के बाद पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार है जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और उनका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो। युवा मतदाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है। यह सिलसिला वर्ष 2011 से शुरू हुआ। 20,000 रुपए से अधिक राजनीतिक चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देना। वर्ष 2013 से नोटा व्यवस्था लागू करना एक अहम चुनाव सुधार माना जाता है। नोटा का मतलब है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी नन ऑफ द एबव (None of the above)। यह व्यवस्था मतदाता को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने और मतदाता की पंसद को रिकॉर्ड करने का विकल्प देती है। पहले जब कोई मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का फैसला करता था तो मतदाता को बूथ के पीठासीन अधिकारी को यह बताना होता था और एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता था। लेकिन इससे मतदाता के वोट आफ सिक्रेट बैलेट के अधिकार को नुकसान पहुँचता था। यह EVM से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है, जो मतदाताओं को अनुमति देती है कि वे यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को पड़ा है जिसके पक्ष में उसने मत डाला है। जब मत पड़ता है तो एक मुद्रित पर्ची निकलती है जिस पर उस उम्मीदवार का नाम रहता है जिसे मत दिया गया है। निर्वाचकों के लिये कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण, व्यापक फोटो इलेक्टोरल सेवा, फर्जी और डुप्लीकेट इंट्री को खत्म करने के लिये डी–डुप्लीकेशन तकनीक लाना, मतदान प्रक्रिया की विडियो रिकॉर्डिंग कराना। आयोग ने ऑनलाइन संचार यानी कोमेट नाम की एक प्रणाली विकसित की है, इससे चुनाव के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र की निगरानी करना संभव हो गया है। GPS का उपयोग कर मतदान केंद्रों की अब रियल टाइम निगरानी भी की जा रही है।

इन सब उपायों के बावजूद भारतीय निर्वाचन पद्धति में अनेक सुधारों की जरूरत है। विगत वर्षों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं का विधायिका में प्रवेश बढ़ा है। अनाप शनाप खर्च कर चुनाव जीतने पर अभी तक कोई रोक नहीं लग सकी है। दो सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रवृत्ति पर दभी रोक गाने की जरूरत है। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। अर्थात हर सीट पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। इसलिये जिन राजनीतिक दलों के वोट बिखरे हुए हैं, उन्हें कुल मिलाकर अच्छा–खासा वोट मिलने के बावजूद मुमकिन है कि उसके प्रतिनिधि जीतकर न आएँ। ये राजनीतिक दल जिन सामुदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन समूहों की आवाज सदन में अनसुनी रह सकती है। यह प्रणाली भारत की निर्वाचन पद्धति का एक प्रमुख दोष है।

साफ–सुथरे चुनावों और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसे में महत्त्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू कराना बहुत जरूरी है ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके। चुनाव के दौरान नेताओं के धार्मिक स्थलों पर जाने और धार्मिक नारे लगाए जाने पर रोक लगनी चाहिये तथा इसका सख्ती से पालन होना चाहिये। पेड न्यूज और फेक न्यूज पर सख्ती से रोक लगनी चाहिये। इनके जरिये जनमत को प्रभावित करने की कोशिश होती है, जिसका असर चुनावों पर होता है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के विनियमन के लिये आचार संहिता निर्मित करने की आवश्यकता है।

लोकसभा चुनावों के अलावा विधानसभा व नगरीय निकाय चुनावों के लगातार देश में चलते रहने से देश में निरन्तर चुनावों का वातावरण बना रहता है। आचार संहिता लगी होने से इस दौरान सरकारी कामकाज भी लगातार प्रभावित होता है। इसलिये पूरे देश में सभी प्रकार के चुनाव एक साथ कराये जाने की मांग दिनों दिन बलवती होती जा रही हे। 'वन नेशन वन इलेक्शन' के इस मुद्दे पर व्यापक विचार–विमर्श आयोजित कर इसे तत्काल लागू करने की आवश्यकता है।■

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद - स्थायी सदस्यता का स्वप्न

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है और इस पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में शांति स्थापना अभियान स्थापित करना, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करना और सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना शामिल है। यूएनएससी एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य पांच देश हैं, जिन्हें 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्रदान करता है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य द्वितीय विश्व युद्ध में सभी सहयोगी थे और उस युद्ध के विजेता भी। ये सबसे पहले और सबसे अधिक परमाणु हथियारों वाले पांच देश भी हैं। पांच स्थायी सदस्यों के पास सबसे महत्वपूर्ण शक्ति वीटो शक्ति है। इसका मतलब यह है कि यदि इनमें से कोई भी देश किसी प्रस्ताव पर वीटो करता है, तो इसे पारित नहीं किया जा सकता है। हालांकि UNSC 75 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है, लेकिन यह 21वीं सदी की भू–राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

वैश्वीकरण के पश्चात् भू–राजनीतिक संरचना में काफी परिवर्तन आ जाने से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठती रही है। भारत कई बार UNSC का अस्थायी सदस्य रहा है, लेकिन उसे स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है। भारत का मानना है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था के आकार (पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था), जनसंख्या (दुनिया में पहला) और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस आधार पर वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान का हकदार है।

यद्यपि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के बिना भी वैश्विक नेतृत्व की भूमिका हासिल कर ली है. भारत की आवाज का वैश्विक असर होता है जैसा कि वर्तमान के रूस–यूक्रेन युद्ध में देखा जा रहा है. भारत शायद दुनिया का अकेला बड़ा देश है जिसका एक ही समय में अरब देशों, इजरायल और ईरान के साथ स्वतंत्र और नजदीकी संबंध है. वास्तव में मिस्र के साथ साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी में बदलने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर के साथ भारत की अब तीन अरब देशों (सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र) के साथ रणनीतिक साझेदारी हो गई है. इसके अलावा इजरायल के साथ भारत का विशेष रणनीतिक संबंध है और ईरान के साथ संबंध को फिर से बहाल किया गया है. ये संबंध दुनिया के सबसे ज्यादा उथल–पुथल वाले क्षेत्र में बने हैं. अमेरिका और रूस– दोनों के साथ भारत की सामरिक साझेदारी है और दोनों देश भारत को महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर देखते हैं. संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाले देश के रूप में भारत की भूमिका का सबको पता है. मार्च 2015 में यमन में युद्ध छिड़ने के दौरान अपने नागरिकों को वहां से निकालते समय भारत ने 48 अन्य देशों के 1,950 नागरिकों को भी बाहर निकाला. क्यों? इसका कारण ये है कि भारत इकलौता देश था जिस पर युद्ध में शामिल पक्ष विश्वास करते थे और उसे नागरिकों को बाहर निकालने की इजाजत दी थी. भारत विकासशील देशों की आवाज भी माना जाता है. ये ऐसी पहचान है जिसे औपचारिक तौर पर जनवरी 2023 में संपन्न 'वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन के दौरान मान्यता दी गई.

भारत की जो ताकत है या जिसका अनुमान लगाया जा रहा है, उसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के साथ या उसके बिना भी भारत का महत्व है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपने मौजूदा रूप में पुराना, अप्रासंगिक और कम प्रतिनिधित्व वाला संगठन बन गया है. पिछले एक दशक से अमेरिका दूर भागने की मुद्रा में है, पश्चिम एशिया क्षेत्र, अफगानिस्तान, इत्यादि के संघर्षों और लड़ाइयों से वो दूर भागा है. रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है. चीन विवादित इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में बार–बार अपना सिर उठा रहा है और यूके एवं फ्रांस अब द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने की सैन्य या आर्थिक ताकत नहीं हैं. संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय क्षेत्र से लेकर पीस कीपिंग अभियानों तक भारत की उल्लेखनीय भूमिका रही है। इस तरह भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके असर, आर्थिक दबदबे और सैन्य शक्ति को दुनिया भर के देश मानते हैं. इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी तय है, सवाल 'अगर' का नहीं बल्कि 'कब' का है.

भारत की सदस्यता के लिये फ्राँस सहित कई देशों का समर्थन भी प्राप्त है। इन तमाम दावेदारियों के बावजूद भारत की सदस्यता प्राप्ति के समक्ष अनेक बाधाएँ हैं। चीन भारत की सदस्यता का विरोध करता है। यद्यपि अमेरिका भारत की सदस्यता का समर्थन करता है, लेकिन वीटो पावर सहित सदस्यता के पक्ष में नहीं है।

सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता से भारत को लाभ मिलेगा। भारत महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभा पाएगा। हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। भारत की उभरती हुई सुपर पावर की छवि को बढ़ावा मिलेगा। पीओके तथा ब्लूचिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान पर मजबूत पकड़ बनाने में सक्षम हो पाएगा। देश का सामाजिक–आर्थिक विकास कर पाएगा। वैसे चीन को छोड़कर सुरक्षा परिषद के बाकी सदस्य देश अमेरिका, फ्रांस और रूस भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। ■

देश का स्वप्न - विश्वसनीय चौथा खम्भा

अधिक समय नहीं हुआ है, पहले अखबार छाप कर बेचे जाते थे, अब बिक कर छापे जाते हैं. हालांकि, अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन छोटे स्तर पर। छोटे–बडे शहरों, जिलों एवं कस्बों में मीडिया की चाकरी बिना किसी अच्छे मासिक तनख्वाह पर करने वाले पत्रकारों पर हमेशा से पैसे लेकर खबर छापने या फिर खबर के नाम पर दलाली के आरोप लगते रहते हैं। खुले आम कहा जाता है कि पत्रकारों को खिलाओ–पिलाओ–कुछ थमाओं और खबर छपवाओ। मीडिया की गोष्ठियों में, मीडिया के दिग्गज गला फाड़ कर, मीडिया में दलाली करने वाले या खबर के नाम पर पैसा उगाही करने वाले पत्रकारों पर हल्ला बोलते रहते. 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामला ने देश में भ्रष्टाचार को लेकर एक नई इबारत लिख दी। इस पूरे मामले में जहां राजनीतिक माहौल भ्रष्टाचार की गिरफ्त में दिखा वहीं लोकतंत्र का प्रहरी मीडिया भी राजा के भ्रष्टाचार में फंसा दिखा। राजा व मीडिया के भ्रष्टाचार के खेल को मीडिया ने ही सामने लाया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है कि मीडिया में घुसते भ्रष्टचार पर सवाल उठा हो! मीडिया को मिशन समझने वाले दबी जुबां से स्वीकारते हैं कि नीरा राडिया प्रकरण ने मीडिया के अंदर के उच्च स्तरीय कथित भ्रष्टाचार को सामने ला दिया है और मीडिया की पोल खोल दी है। मीडिया के अंदर भ्रष्टाचार के घुसपैठ पर भले ही आज हो हल्ला हो जाये, यह कोई नयी बात नहीं है। पहले निचले स्तर पर नजर डालना होगा। जिलों/कस्बों में दिन–रात कार्य करने वाले पत्रकार इसकी चपेट में आते हैं, लेकिन सभी नहीं। अभी भी ऐसे पत्रकार हैं, जो संवाददाता सम्मेलनों में खाना क्या, गिफ्ट तक नहीं लेते हैं। संवाददाता सम्मेलन कवर किया और चल दिये।

वहीं देखें, तो छोटे स्तर पर पत्रकारों के भ्रष्ट होने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक शोषण का आता है। छोटे और बड़े मीडिया हाउसों में अल्प भुगतान पर पत्रकारों से 10 से 12 घंटे काम लिया जाता है। ऊपर से प्रबंधन की मर्जी, जब जी चाहे नौकरी पर रखे या निकाल दे। भुगतान दिहाड़ी मजदूरों की तरह है। वेतन के मामले में कलम के सिपाहियों का हाल, सरकारी आदेशपालों से भी बुरा है। ऐसे में यह चिंतनीय विषय है कि एक जिले, कस्बा या ब्लॉक का पत्रकार, अपनी जिंदगी पानी और हवा पी कर तो नहीं गुजारेगा ? लाजमी है कि खबर की दलाली करेगा ? वहीं पर कई छोटे–मंझोले मीडिया हाउसों में कार्यरत पत्रकारों को तो कभी निश्चित तारीख पर तनख्वाह तक नहीं मिलती है। छोटे स्तर पर कथित भ्रष्ट मीडिया को तो स्वीकारने के पीछे, पत्रकारों का आर्थिक कारण, सबसे बड़ा कारण समझ में आता है, जिसे एक हद तक मजबूरी का नाम दिया जा सकता है। राजनैतिक भ्रष्टाचार पर किये गये शोध बताते हैं कि यदि संचार माध्यम स्वतन्त्र और निष्पक्ष हो तो इससे सुशासन को बढ़ावा मिलता है जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है. भारत में 1955 में अखबार के मालिकों के भ्रष्टाचार के मुद्दे संसद में उठते थे। आज मीडिया में भ्रष्टाचार इस सीमा तक बढ़ गया है कि मीडिया के मालिक काफी तादाद में संसद में बैठे दिखाई देते हैं। अर्थात् भ्रष्ट मिडिया और भ्रष्ट राजनेता मिलकर काम कर रहे हैं। भ्रष्ट घोटालों में मीडिया घरानों के नाम आते हैं। उनमें काम करने वाले पत्रकारों के नाम भी आते हैं। कई पत्रकार भी करोड़पति और अरबपति हो गए हैं।

आजादी के बाद लगभग सभी बड़े समाचार पत्र पूंजीपतियों के हाथों में गये। बाजार का उद्देश्य ही है अधिक से अधिक लाभ कमाना। पत्रकार शब्द नाकाफी है अब तो न्यूज बिजनेस शब्द का प्रयोग है। अनेक नेता और कारापोरेट कम्पनियां अखबार का स्पेस (स्थान) तथा टीवी का समय खरीद लेते हैं। वहां पर न्यूज, फीचर, फोटो, लेख जो चाहे लगवा दें। भारत की प्रेस कौंसिल और न्यूज ब्राडकास्टिंग एजेन्सी बौनी है। दिशाहीन, अनर्गल लेख उस स्थान को भर देते हैं। अखबारों से सम्पादक के नाम पत्र गायब हैं। लोग विश्वास पूर्वक लिखते नहीं, लिख भी दिया तो अनुकूल पत्र ही छपते हैं बाकी कूड़ेदान में ही जाते हैं। कुछ सम्पादकों की कलम सत्ता के स्तंभों और मालिकों की ओर निहारती है। ऐसे में प्रजातंत्र के इस चौथे खम्बे की विश्वसनीयता भी हमारा स्वप्न बना हुआ है। ■

किताब के पन्नों से

गुरुचरण दास

''मैं ऐसे भारत में पला–बढ़ा हूँ जो एक गर्वित उदार लोकतंत्र था, जिसकी अर्थव्यवस्था में एक गैर–उदारवादी, अत्यधिक विनियमित अर्थव्यवस्था थी जो निजी उद्यम को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करती थी। हम इसे लाइसेंस राज कहते थे। मैंने एक ऐसी कंपनी के लिए काम किया जो विक्स वेपोरब बनाती थी। एक साल फ्लू महामारी फैली और विक्स की बिक्री आसमान छू गई। साल के अंत में सरकार की ओर से एक सम्मन आया, जिसमें दावा किया गया कि मेरी कंपनी ने कानून तोड़ा हैः बिक्री हमारे लाइसेंस में अधिकृत विक्स के उत्पादन से अधिक थी। हमें बताया गया कि यह एक आपराधिक अपराध था। मुझे एक सरकारी अधिकारी के सामने सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा गया। मैंने समझाया कि महामारी के कारण अतिरिक्त मांग हो गई है, हम केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे, दुकानों की अलमारियों में सामान भरा हुआ था। लेकिन अधिकारी ने हमें दोषी करार देते हुए कहा कि अब कानून अपना काम करेगा।'' ■

(लेखक उदारीकरण पर प्रखर वक्ता और स्तम्भकार हैं)

हमारा स्वप्न - जनहितकारी नौकरशाही

यह सर्वविदित है कि भारत में नौकरशाही का मौजूदा स्वरूप ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की देन है। इसके कारण यह वर्ग आज भी अपने को आम भारतीयों से अलग, उनके ऊपर, उनका शासक और स्वामी समझता है। अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए यह वर्ग जितना सचेष्ट रहता है, आम जनता के हितों, जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति उतना ही उदासीन रहता है।

भारत जब गुलाम था, तब महात्मा गांधी ने विश्वास जताया था कि आजादी के बाद अपना राज यानी स्वराज्य होगा, लेकिन आज जो हालत है, उसे देख कर कहना पड़ता है कि अपना राज है कहां ? उस लोक का तंत्र कहां नजर आता है, जिस लोक ने अपने ही तंत्र की स्थापना की? आज चतुर्दिक अफसरशाही का जाल है। लोकतंत्र की छाती पर सवार यह अफसरशाही हमारे सपनों को चूर–चूर कर रही है। देश की पराधीनता के दौरान इस नौकरशाही का मुख्य मकसद भारत में ब्रिटिश हुकूमत को अक्षुण्ण रखना और उसे मजबूत करना था। जनता के हित, उसकी जरूरतें और उसकी अपेक्षाएं दूर–दूर तक उसके सरोकारों में नहीं थे। नौकरशाही के शीर्ष स्तर पर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, जो अधिकांशतः अंग्रेज अफसर होते थे। भारतीय लोग मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में सरकारी सेवा में भर्ती किए जाते थे, जिन्हें हर हाल में अपने वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों के आदेशों का पालन करना होता था। लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किए गए शिक्षा के मॉडल का उद्देश्य ही अंग्रेजों की हुकूमत को भारत में मजबूत करने और उसे चलाने के लिए ऐसे भारतीय बाबू तैयार करना था, जो खुद अपने देशवासियों का ही शोषण करके ब्रिटेन के हितों का पोषण कर सकें।

स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत तमाम महत्वपूर्ण बदलाव हुए, लेकिन एक बात जो नहीं बदली, वह थी नौकरशाही की विरासत और उसका चरित्र। कड़े आंतरिक अनुशासन और असंदिग्ध स्वामीभक्ति से युक्त सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों का संगठित तंत्र होने के कारण भारत के शीर्ष राजनेताओं ने औपनिवेशिक प्रशासनिक मॉडल को आजादी के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया। इस बार अनुशासन के मानदंड को नौकरशाही का मूल आधार बनाया गया। यही वजह रही कि स्वतंत्र भारत में भले ही भारतीय सिविल सर्विस का नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया गया और प्रशासनिक अधिकारियों को लोक सेवक कहा जाने लगा, लेकिन अपने चाल, चरित्र और स्वभाव में वह सेवा पहले की भांति ही बनी रही। प्रशासनिक अधिकारियों के इस तंत्र को आज भी 'स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया' कहा जाता है। नौकरशाह मतलब तना हुआ एक पुतला। इसमें अधिकारों की अंतहीन हवा जो भरी है। हमारे लोगों ने ही इस पुतले को ताकतवर बना दिया है।

भारतीय नौकरशाही कई समस्याओं से ग्रसित है, जिनका समाधान न करने पर नौकरशाही का संस्थागत पतन हो सकता है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण प्रायः राजनीतिक कार्यपालिका को चुनौती देने वाले लोगों का बार–बार स्थानान्तरण कर दिया जाता है। यह अन्य लोगों को हतोत्साहित करता है और इस प्रकार नौकरशाही में जनता का विश्वास भी कमजोर होता है। पदोन्नति और भर्ती हेतु लिए जाने वाले निर्णयों में, सामान्य योग्यता को महत्व दिया जाता है। हालांकि, विशेषज्ञतापूर्ण कौशल की कमी उन्हें तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में अप्रासंगिक बना सकती है। यदि नौकरशाह जमीनी वास्तविकता से अवगत न हों तो नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन में एक अंतराल उत्पन्न हो जाता है। नौकरशाही में भ्रष्टाचार का उच्च स्तर है। नौकरशाही में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है इसके परिणामस्वरुप संभव है कि अधिकारी अपने निजी लाभ के लिए स्वेच्छापूर्ण निर्णय लें। नौकरशाही, परिवर्तन का प्रतिरोध कर प्रौद्योगिकी को अपनाने और गवर्नेंस में विकेन्द्रीकरण के प्रति अपनी अनिच्छा जाहिर करती है क्योंकि इससे उनके स्वेच्छाधिकार पर रोक लगती है।

इन चुनौतियों के समाधान हेतु नौकरशाहों के लिए निश्चित कार्यकाल का प्रावधान करना चाहिये। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु नौकरशाहों को उचित वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्रदान किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, एक दृढ सतर्कता तंत्र होना चाहिए और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का ठीक से कार्यान्वयन होना चाहिए। प्रशासकीय प्रक्रिया का डिजिटलीकरण और नौकरशाही के निर्णय को जनता तक पहुँचाना, जिससे संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग सुनिश्चित हो सके। अनुभवी अधिकारियों का पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry)। करियर के मध्यवर्ती चरण में गहन समीक्षा द्वारा जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए तथा कार्यात्मक कौशल, कार्यक्षेत्र विशेषज्ञता, व्यवहार संबंधी दक्षता व सत्यनिष्ठा की कसौटी पर अधिकारियों की श्रेणी निर्धारित करने के लिए व्यापक मूल्यांकन तंत्र होना चाहिए। विशिष्ट कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए अधिकारियों को उनके करियर के प्रारंभ में ही अलग–अलग विभाग आवंटित किए जाने चाहिए। जमीनी वास्तविकता का आकलन करने के लिए उन्हें क्षेत्र के नियमित दौरे पर भी जाना चाहिए। भारत में अब तक हुए प्रशासनिक सुधार के प्रयासों का कोई कारगर नतीजा नहीं निकल पाया है। वास्तव में नौकरशाहों की मानसिकता में बदलाव लाए जाने की जरूरत है। ■

जाति प्रथा विहीन समाज - सदियों पुराना स्वप्न

भारतीय समाज में जाति प्रथा के कारण विघटन और अन्य बुराइयों को दूर करने हेतु जाति प्रथा को उखाड़ फेंकने की जरूरत है. आज वर्ण और जाति को पूरी तरह से नकार दिया जाना चाहिए क्योंकि आज इस व्यवस्था की कोई प्रासंगिकता नहीं बची है. सामाजिक समानता भारतीय परंपराओं का हिस्सा रही है, लेकिन अब इस विशेषता को भुला दिया गया है, जिसके हानिकारक परिणाम निकल रहे हैं. प्रारंभ में वर्ण और जाति व्यवस्था के अंतर्गत भेदभाव नहीं होता था और इसका लाभ था. लेकिन अब यह मात्र एक इतिहास बन कर रह गया है. हमारी पिछली पीढ़ियों ने कुछ गलतियां की हैं और भारत भी अपवाद नहीं है, लेकिन आज जो भी व्यवस्था समाज में भेदभाव का कारण बने, उसे जड़ से मिटाने की जरूरत है.

हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को भी एक चिंता लगातार उद्वेलित कर रही थी कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के बाद क्या हम भारतीय अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रख पायेंगे ? यदि सोचें कि हमारा देश गुलाम ही क्यों हुआ था, तो उसके पीछे देश में भाषा, प्रांत, जात–बिरादरी आदि उसके प्रमुख कारण थे. विदेशी आक्रांताओं ने ऐसे भेदों का भरपूर लाभ उठाया और हमारे देश को गुलाम बनाने में सफल हो गये. ऐसा नहीं कि हमारे देश में लोगों ने आक्रांताओं का प्रतिकार नहीं किया, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बार हमारी फूट का लाभ विदेशी आक्रांता लगातार उठाते गये. उन आक्रांताओं ने देश को न केवल लूटा–खसोटा, बल्कि लंबे समय तक अपना शासन स्थापित करने में भी वे सफल हो सके. अंग्रेजों ने भारतीय समाज की विविधताओं को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया. उन्होंने तरह–तरह के सर्वेक्षण कराकर इन विविधताओं को और अधिक उजागर किया और लोगों को एक–दूसरे के खिलाफ भड़काया. अंग्रेज शासन के दौरान ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जब उन्होंने विभिन्न जातियों एवं वर्गों को एक–दूसरे के विरुद्ध भड़काकर उनमें शत्रुता का भाव जागृत किया. विदेशी शासकों की इसी नीति को इतिहासकारों ने 'फूट डालो, शासन करो' की नीति का नाम दिया. जब तक समाज में उपस्थित विविधताओं के कारण आपसी मतभेदों की बुराइयों को समाप्त नहीं किया जाता, जिसके कारण हमारा देश गुलाम हो गया, आजादी मिलने के बाद भी उसके क्षरण की आशंका बनी रहेगी. उनका मानना था कि विदेशी शासक इसी 'फूट डालो, शासन करो' की नीति पर चलते हुए अपने शासन को लंबे समय तक चला सके और गरीबी के साथ लोगों को विभिन्न जुल्मों को भी सहना पड़ा. जात–बिरादरी के चलते कई वर्गों को अत्यंत पीड़ा से गुजरना पड़ता है. हालांकि छूआछूत आदि को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है और संविधान में सभी के लिए समान व्यवहार का प्रावधान है, फिर भी कई स्थानों पर कुछ जातियों के लिए कुछ प्रथाओं का निषेध, मंदिरों में प्रवेश पर रोक, विवाह समारोह में घोड़ी पर चढ़ने को लेकर विवाद या कुएं से जल न लेने की घटनाओं या ऐसी ही कुछ विसंगतियों के चलते ही हमारा समाज कमजोर होता जा रहा है.

यह चिन्ताजनक है कि अभी भी अनेक राजनीतिक दल भाषा–प्रांत, जात–बिरादरी, पूजा पद्धति आदि के आधार पर समाज में भेद उत्पन्न करते हुए अपनी रोटियां सेंकते हैं। हाल ही के चुनावों में तो यह जातिवाद अपने अबतक के इतिहास में सबसे चरम पर था। आज समाज में स्वच्छ विकास एवं देश को हर क्षेत्र में उन्नत बनाने के लिए सभी भेदों को जड़ से मिटाने का समय आ गया है. इससे राजनीति में भी स्वच्छता आयेगी और देश का आर्थिक विकास भी तेजी से हो सकेगा. समाज के विभिन्न वर्गों में समरसता स्थापित करने के लिए संपूर्ण समाज को इन भेदों से मुक्त करने की जरूरत है.

हमें समझना होगा कि जब तक समाज के सभी वर्ग मिल–जुलकर राष्ट्र के निर्माण में संलग्न नहीं होंगे, गरीबी और बेरोजगारी जैसे दानवों का संहार करना कठिन हो जायेगा. यह भी समझना जरूरी है कि जाति–बिरादरी और अन्य प्रकार के सामाजिक भेद समाज के ताने–बाने और देश की अखंडता की रक्षा के लिए भी खतरा हैं. ■

तारीख पर तारीख का अंत कब ?

आश्चर्य नहीं कि भारतीय समाज के भ्रष्टाचार के सबसे व्यस्त और अपराधी अड्डे अदालतों के परिसर हैं। गांधीजी ने कहा था कि अदालत न हो तो हिंदुस्तान में गरीबों को न्याय मिलने लगे। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, यह एक आम मान्यता है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालती निर्णय आता है तो उसे लगता है कि जरूर न्यायाधीश ने विपक्षी लोगों से पैसे लिए होंगे या किसी और वजह से उसने अदालत का निर्णय अपने पक्ष में करवा लिया होगा। कहते सब हैं, पर डरते भी हैं कि ऐसा कहने पर वे अदालत की अवमानना के मामले में फंस न जाएं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। देश की सभी अदालतों में 5.1 करोड़ मामले लंबित हैं जिनमे से 15,000 से अधिक मामले तीन दशकों से अधिक समय से लंबित हैं. दूसरी ओर अदालतें आधारभूत सुविधाओं की कमी से उलझ रही हैं, और न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या इस लंबित मामलों की संख्या को बढ़ा रहा है. क्या समय आ गया है हम अपनी प्राचीन व्यवस्था की ओर बढ़ें जिसमें न्याय पंचायत में अपने पंच चुनने की सुविधा हो, पांच पंचों में से एक एक पंच समाज के विभिन्न वर्गों से हो और पांचवां पंच गाँव के बाहर का हो. व्यंग्य ही सही, क्या अंग्रेजी कानूनी व्यवस्था के बारे में प्रख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर पारसाई के शब्द हैं ''अदालत चढ़ने के बाद मुवक्किल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने वकील से स्वयं की रक्षा करना. ■

गंग सकल मुद मंगल मूल....

नदी और मानव का संबंध अनादिकाल से ही रहा है। पाषाणयुगीन प्राचीनतम संस्कृतियों के अधिकतर साक्ष्य नदियों के किनारे पर ही मिले हैं, और समय के साथ–साथ नदियों के किनारे कई सभ्यताएं भी पल्लवित एवं पुष्पित हुई हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में नदियों को पूजनीय मानते हुए माँ का दर्जा दिया गया है। श्री रामचरितमानस में वर्णित है कि "गंग सकल मुद मंगल मूल सब सुख करणी हरि सब सुला" अर्थात् वह अनंत सुख प्रदान करती हैं और सभी प्रकार के दुखों को मिटा देती हैं। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, स्कंदपुराण एवं अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान और नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है।

भारत को नदियों का देश माना जाता है तथा यहाँ छोटी और बड़ी नदियों को मिलाकर लगभग 4000 से अधिक नदियाँ है। हिमालय की नदियों में, ग्लेशियर प्राथमिक जल स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें पिघलने वाली बर्फ वर्ष भर प्रवाह सुनिश्चित करती है, किन्तु प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकांशतः वर्षा जल पर निर्भर हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, कोसी और घाघरा हिमालय प्रणाली से संबंधित नदियाँ हैं, जबकि प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली में नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, साबरमती, माही, सुबर्णरखा और लूनी जैसी नदियाँ शामिल हैं। सिंधु नदी प्रणाली में सिंधु सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास शामिल हैं, जिन्हें पंचनद के रूप में जाना जाता है। गंगा नदी प्रणाली में गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, गंडक, कोसी, बेतवा और रामगंगा शामिल हैं।

शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा अनियोजित विकास के कारण पिछले कुछ दशकों से नदियों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक होती जा रही है। कई सहायक नदियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा हाल ही में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की लगभग 46 प्रतिशत नदियाँ, जिनमें गंगा जैसे प्रमुख जल निकाय शामिल हैं, में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सबसे प्रदूषित नदियाँ हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और पंजाब जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) प्रदूषण के स्तर के मामले में शीर्ष पर हैं। एसओई रिपोर्ट में जिन खतरनाक पहलुओं पर चर्चा की गयी है, उनमें से कई दूषित नदी स्थलों में जैविक ऑक्सीजन की मांग (बीओडी) का स्तर है, जो निर्धारित सीमा से 10 गुना अधिक है। तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि के कारण घरेलू औद्योगिक और कृषि के क्षेत्र में नदियों के जल की मांग बढ़ी है जिसके कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। दूसरी ओर, उद्योगों का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे को नदियों में प्रवाहित करने से वे प्रदूषित हो रही हैं। परिणामस्वरूप टाइफाइड, हैजा और अन्य जलजनित गंभीर बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। आर्सेनिक प्रदूषित पानी

के सेवन से त्वचा संबंधी विकार हो जाते हैं। पारा प्रदूषण से मनुष्यों में मिनमाटा (न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम) रोग, सीसे के यौगिकों से रक्ताल्पता, सिरदर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और मसूड़ों में समस्या, कैडमियम से दूषित पानी इटाई इटाई रोग, इसके साथ–साथ फेफड़े और यकृत के कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

केंद्र एवं राज्य सरकारें नदियों के संरक्षण की दिशा में अनवरत प्रयास कर रहे हैं। महानदी, कृष्णा, गोदावरी और स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, नमामि गंगे परियोजना, नमामि देवी नर्मदे, और नर्मदा सेवा जैसी विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। साथ ही, केन–बेतवा लिंक परियोजना शुरू करने का केंद्र सरकार का निर्णय एक सराहनीय कदम है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से ही भविष्य में नदियों के अस्तित्व को संरक्षित एवं संवर्धित किया जा सकेगा। जग्गी वासुदेव द्वारा कावेरी नदी और श्री श्री रविशंकर द्वारा कुमुदावती नदी के संरक्षण के लिए सरहनीय प्रयास किए गए हैं। भारत जैसे देश में जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिये कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौसंचालन और जलविद्युत निर्माण के लिये नदियों को संरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। सहायक नदियों को जीवित करने के प्रयास होने चाहिए। नदियों की जलग्रहण क्षमता बनी रहे, इसके लिए जलग्रहण प्रबंधन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नदियों के किनारे मृदा अपरदन को कम करने हेतु वृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाये जाने चाहिए। प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन अतिआवश्यक है। नदियों के जल संधारण क्षेत्र को यथासंभव संरक्षित करना होगा। नदियों की अविरल निर्मल धारा बनी रहे, यह सुनिश्चित करना चाहिए। प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति के मूल्यों को सहेजते हुए नदियों के संरक्षण की दिशा में अथक प्रयास करने होंगे।

वास्तव में नदियों के संरक्षण हेतु प्रत्येक जनमानस में 'स्व' का भाव जाग्रत होना आवश्यक है तभी इस दिशा में आशातीत परिणाम मिल सकेंगे। 'देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे। शंकरमौलिविहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पदकले' जैसे गंगा की महिमा मंडन के श्लोक तभी सार्थक होंगे जब गंगा अपनी निर्मलता तो पुनः प्राप्त करेगी. ■

कई कानून बदले - शायद पूरा होगा एक स्वप्न

केंद्र सरकार ने गत वर्ष भारतीय कानूनों में बदलाव किया है. अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म होंगे। मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए। IPC 1860, CRPC 1898 और EVIDENCE ACT 1873 अंग्रेजों के जमाने के कानून थे. 2019 में ही इसको लेकर आमूलचूल परिवर्तन पर विचार शुरू हो गया था. करीब चार साल के मंथन के बाद ये प्रस्ताव पेश किया गया है. भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम (CRPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की जगह लेने वाले ये तीन विधेयक क्रमशः भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक हैं. इसके तहत राजद्रोह के कानून को 'भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य' के रूप में रखा गया है. इसमें न्यूनतम सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है. वहीं आतंकवाद के खिलाफ नए प्रस्ताव में मौत की सजा है.

नए प्रस्ताव में मानहानि कानून भी बरकरार रखा गया है. इसके तहत दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा है. संगठित अपराध के विरुद्ध बिल्कुल नया कानून है, यदि इसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें मौत की सजा होगी. नए कानून के तहत भारत में सजा के एक नए रूप में सामुदायिक सेवा यानि कम्यूनिटी सर्विस की शुरुआत होगी. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर नया अध्याय जोड़ा गया है. मेरिटल रेप अपवाद को छुआ नहीं गया है, भारत में मेरिटल रेप अभी भी अपराध नहीं है. बलात्कार के लिए सजा बढ़ाई गई है. न्यूनतम सजा जो पहले 7 साल थी, अब 10 साल होगी. 16 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए अलग नया कानून बनाया गया है. इसके तहत सजा को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है. ये एक तरह से उम्रकैद ही है. नए कानून के तहत नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा है. बलात्कार पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा के लिए नया कानून लाया जाएगा. इसमें दो साल तक की सजा और जुर्माना होगा. वहीं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए नया अध्याय– लावारिस छोड़ना, बच्चे के शव को ठिकाने लगाना, बाल तस्करी आदि शामिल है. वाहन दुर्घटना आदि मामलों में लापरवाही से मौत की सजा 2 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है, साथ में जुर्माना भी है. प्रस्तावित कानून में सड़क दुर्घटना को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं. सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार होकर बच नहीं सकता. नए प्रावधानों के मुताबिक वाहन चालक को पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी. वरना पकड़े जाने पर कम से कम दस साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

सड़क हादसों को लेकर आम जनता में एक बात मशहूर है कि किसी को कुचलकर भी आरोपी चालक पुलिस

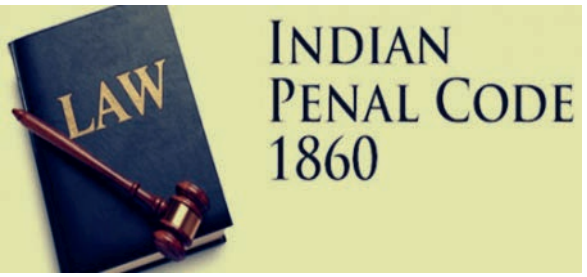

थाने से ही जमानत पाकर छूट जाता है. लेकिन हादसे में घायल या मृतक के परिजन इलाज कराने या शव लेने के लिए भी पुलिस और अस्पताल के चक्कर काटते रह जाते हैं. कई मामलों में तो दोषी सिद्ध होने पर सिर्फ जुर्माना भरकर ही छूट जाता है. लेकिन आपराधिक कानून में बदलाव को लेकर प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में किसी की लापरवाही से मौत होती है तो आरोपी के लिए छूटना इतना आसान नहीं होगा. यानी आईपीसी के तहत लापरवाही से मौत या फिर जल्दबाजी या लापरवाही से हुई मौत के अपराध में पहले 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था. लेकिन अब प्रस्तावित विधेयक में इसके लिए न्यूनतम सात साल कैद और जुर्माना भी देना होगा.

ऐसा अपराध जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, आरोपी घटनास्थल से भाग जाता है या घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो उसे दोनों प्रकार यानी कैद और नकद जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा. इसकी अवधि दस साल तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जाएगा.

कई समितियों ने इन कानून बदल की सिफारिश की थी. विधि आयोग और संसदीय समितियों ने भी सिफारिश की थी. मूलभूत सुधारों के सुझाव नहीं थे, राज्यपालों और सीएम को पत्र लिखा गया. जनवरी 2020 में मुख्य न्यायाधीश जजों को और सांसदों को पत्र लिखा गया. 18 राज्यों, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, 42 सांसद, विधायक, आईपीएस अधिकारी और केंद्रीय बलों के सुझाव आए. गृह मंत्री ने खुद करीब 58 औपचारिक और 100 अनौपचारिक समीक्षा की. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 553 धाराएं हैं. भारतीय न्याय संहिता में 356 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं.

पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर लाल किले की प्राचीर से कहा था कि 2047 तक ऐसा देश बनाना है, जिसमें गुलामी की निशानी न हो. कहा जा रहा है कि ये तीनों कानून अंग्रेजियत से भरे हुए थे और गुलामी की निशानी थे. इनका इरादा अंग्रेजी राज की रक्षा करना था. लोगों की भलाई के लिए नहीं था. पाश्चात्य न्याय प्रणाली दंड देने के अधिकार पर है. भारतीय न्याय व्यवस्था पीड़ित को न्याय देने की है और दंड देने की भी है. हमारी न्याय व्यवस्था के मूल सिद्धांतों की झलक इनमें नहीं दिखती थी. इसकी आत्मा भारतीय होगी. उद्देश्य भारतीय नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करना है और न्याय देना है. ■

जहाँ नहीं जल जमना को निर्मल....

यमुना केवल एक नदी नहीं है, जबकि वह भारतीय इतिहास और विश्वास की ऐसी कड़ी है जिससे करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतिनिधित्व करती है. भगवान श्रीकृष्ण के संस्मरण और उनकी लीला के विहंगम दृश्यों की पृष्ठभूमि यमुना रही है. लेकिन कृष्णा के यमुना से सघन संबंधों का उनके भक्तों में स्पष्ट अभाव दीखता है. दिल्ली को जन्म देने वाली यमुना ही है। इतिहास साक्षी है कि जब–जब शहर बसाए गए तो राजा–महाराजाओं ने यह ध्यान रखा कि जिंदगी की सबसे बड़ी आवश्यकता पानी वहां उपलब्ध हो. दिल्ली को दिल्ली बनाने वाली यमुना ही है। क्योंकि वो यमुना ही थी जिसके दोनो किनारों पर सभ्यता ने जन्म लिया। यमुना ने कई कई बार दिल्ली को बसते और उजड़ते देखा है। यमुना जैसे संसाधन को नष्ट करने और इसकी सफाई में हजारों करोड़ खर्च कर भी नजीता शून्य ही निकलने की पूरी कहानी अत्यंत पीड़ादायक है.

दिल्ली की हवा सांस लेनेऔर दिल्ली का पानी छूने योग्य नहीं है। यमुना नदी की जिसका एक छोटा सा हिस्सा महज 2 प्रतिशत दिल्ली से सम्बद्ध है. इस दिल्ली में एक केंद्र की सरकार है और एक राज्य की सरकार है लेकिन दोनों सरकारें मिलकर यमुना के इस दो फीसदी हिस्से को साफ नहीं कर पा रही है। उल्टा सच्चाई ये है कि पूरी यमुना नदी में जितनी गंदगी है उसमें 80 फीसदी हिस्सेदारी दिल्ली की है। मतलब यमुना को मैली करने वाली दिल्ली ही हैं। यमनोत्री से प्रयागराज तक जाने वाली यमुना का केवल दो फीसदी हिस्सा ही दिल्ली में बहता है। लेकिन उसी दो फीसदी में यमुना 80 फीसदी प्रदूषित हो जाती है और इसकी शुरुआत दिल्ली में यमुना के प्रवेश के साथ ही शुरू हो जाती है।

वजीराबाद बैराज से दिल्ली में यमुना के प्रवेश के बाद ही जिस यमुना नदी का पानी दिल्ली में प्रविष्ट होते वक्त समय होता है, वो दिल्ली में घुसने के बाद मैली और जहरीली होने लगती है। कुछ किलोमीटर बहने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का पानी काला दिखता है. जिसकी वजह है वो गंदे नाले जिसका पानी यमुना में छोड़ा जाता है। नालों की गंदगी से न केवल यमुना का पानी दूषित होता है बल्कि उसमें दुर्गंध भी आने लगती है। यही प्रदूषित पानी आईटीओ होते हुए कालिंदी कुंज तक जाता है। वहां पहुंचने तक नदी में इतनी गंदगी मिल चुकी होती है कि वो एक गंदे नाले में बदल जाती है। दिल्ली में यमुना का बहाव केवल 22 किलोमीटर तक का ही है लेकिन इस 22 किलोमीटर में ही कुल 40 नालों का गंदा पानी यमुना में गिरता है। यानी हर दो किलोमीटर पर दो नाले यमुना को प्रदूषित करते चलते हैं। इस पानी को साफ करने के लिए सभी नालों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बिना ट्रीटमेंट वाले सीवेज से व्यापक स्तर पर निपटने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को एक जून तक का समय दिया गया था। लेकिन बोर्ड ऐसा नहीं कर पाया। सीपीसीबी की एक रिपोर्ट में

सरफेक्टेंट और फॉस्फेट को इसकी वजह माना गया है। घरों और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट में इसकी मात्रा काफी अधिक होती है और यह विभिन्न नालों से होते हुए सीधा यमुना में गिरता है। सीपीसीबी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि झाग की यह परत ओखला बैराज और आईटीओ पर दिखती है। ओखला बैराज पर ऊंचाई से पानी गिरने से फॉस्फेट और सरफेक्टेंट पानी में घुलते हैं और झाग बनाते हैं। एक के बाद एक कई नाले यमुना में गिरते हैं। जिससे इसका पानी नाले के पानी के समान काला हो जाता है। झाग बनाना शरू कर देता है और धीरे–धीरे पानी में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो पीने के लायक भी नहीं रह जाता है। यमुना के पानी पर प्रदूषण की सफेद चादर इस झाग के रूप में तैरती रहती है। लेकिन यमुना के वर्तमान हालात एक दिन के नहीं बल्कि पिछले दो दशक से यमुना प्रदूषित हो रही है और पिछले दो दशक से ही यमुना की सफाई का अभियान चल रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना के झाग को रोकने के लिए 9 सूत्रीय कार्य योजना बनाई। लेकिन इसका नजीजा अभी तक कोई खास नहीं रहा। दिल्ली सरकार की तरफ से अपने बजट में यमुना सफाई अभियान के लिए 2074 करोड़ रुपये आवंटित किए। लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात। दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए साल 2018 से 2021 के बीच में करीब 200 करोड़ की राशि आवंटित की लेकिन उसे खर्च करने का असर अभी तक नजर नहीं आया है।

यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ो–करोड़ खर्च करने का आंकड़ा केवल दिल्ली सरकार का नहीं है। बल्कि इसकी सफाई में खर्च करने के लिए केंद्र की तरफ से भी पानी की तरह पैसा बहाया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले दो दशकों के दौरान 1500 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। लेकिन यमुना की स्थिति देखें तो आज भी इसका काला पानी और झाग नाले की तस्दीक कराता है। यमुना की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 4 हजार करोड़ से अधिक के 24 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। उनमें सबसे ज्यादा 13 प्रोजेक्ट दिल्ली में हैं। लेकिन अभी तक उनमें से केवल 2 का काम पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 8 में से सिर्फ 1 और हिमाचल में तो एक

भी प्रोजेक्ट पर काम पूरा नहीं हुआ है। केवल हरियाणा ने ही अपने दोनों प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है। यमुना के जहरीले झाग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़े–बड़े दावे किए हैं। उन्होंने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि यमुना की सफाई मेरी जिम्मेदारी है। यमुना में गंदगी के मुद्दे पर मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। यमुना साफ होगी और मैं अगले चुनाव से पहले इसमें पवित्र स्नान करूंगा। अगर मैं फेल हो जाता हूं तो मुझे वोट नहीं देना। जनवरी 2020 में चुनाव से पहले केजरीवाल ने अपने चुनावी वादे में कहा ता कि अगर उनकी सरकार आती है तो आने वाले पांच साल में यमुना की सफाई आप सरकार की प्राथमिकता होगी। यह पहला मौका नहीं है जब चुनाव के दौरान केजरीवाल को यमुना की चिंता सताने लगी है। सच्चाई ये हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े अपने घोषणापत्र में लिखा था कि 'लंबे समय से यमुना नदी दिल्ली की सामूहिक याद का हिस्सा रही है लेकिन ये जीवनरेखा मर रही है। हम दिल्ली के 100 प्रतिशत सीवेज को इक्ट्ठा करके उसका ट्रीटमेंट सुनिश्चित करेंगे जिसके लिए व्यापक सीवर नेटवर्क और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। बिना ट्रीटमेंट वाले पानी और औद्योगिक गंदगी को यमुना में बहाए जाने से सख्ती से रोका जाएगा।

यमुना की प्रदूषण–मुक्ति के लिये सरकार के साथ–साथ जन–जन को जागना होगा। सरकार की सख्ती एवं जागरूकता ज्यादा जरूरी है। यमुना प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय हरित पंचाट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे निकाय औद्योगिक इकाइयों के लिए समय–समय सख्त नियम बनाते रहे हैं। पर लगता है कि इनके दिशानिर्देशों पर अमल करवाने वाला तंत्र कमजोर साबित हो रहा है। वरना क्या कारण है कि सख्ती के बाद भी औद्योगिक कचरा और जहरीले रसायन यमुना में बहाए जा रहे हैं ? औद्योगिक इकाइयों को सख्त हिदायत है कि वे तरल कचरा नदियों में प्रवाहित न करें। पर जिस सरकार, उसके महकमे और कानून प्रवर्तन एजंसी पर इसे सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी है, लगता है वह काम ही नहीं कर रही। कुछ समस्याएं राजनीतिक नफा–नुकसान से ऊपर होती है। उन्हें राजनीतिक नजरिये से नहीं, मानवीय नजरिये से देखना होता है। अन्यथा जीवन मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जायेगा। मनुष्य के भविष्य के लिए यह चिन्ता का बड़ा कारण हैं। दिल्ली की यमुना इसी प्रकार अगर प्रभावित एवं प्रदूषित होती रही तो अगली शताब्दी में दिल्ली की बहुत कुछ विशेषताएं समाप्त हो जाएंगी। क्या आप ऐसी सुबह चाहेंगे जब दिल्ली का जीवन घोर अंधेरों से घिरा हो? विडम्बना यह है इस ओर हमारे दायित्व के प्रति हम सबने आंखें मूंद रखी हैं। परमानन्द दास के शब्द हैं, कहा करयो बैकुंठ जाई, जहाँ नहीं नन्द ना हीं जसोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वालन गाय रे, जहाँ नहीं जल जमना को निर्मल, और नहीं कदम्ब की छाँव रे.

जिस बैकुंठ को कवि इस बात के लिए छोड़ने को तैयार हो जहाँ जमना का निर्मल जल न हो, आज एक बड़ा आव्हान है, एक चुनौती है, एक स्वप्न है, जो संभव है, अभीष्ट है. ■

महिला शक्ति - भारत के साकार होते स्वप्न

अगर मन में कुछ बड़ा करने की चाह हो, तो कोई भी सामाजिक बंधन आपके कदमों को कभी बांध नहीं सकता। देश की कुछ सफल महिलाओं की कहानियों ने इस बात को सच साबित कर दिखाया। खेल, व्यवसाय, रक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में कमाल करने वाली महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियों से इन महिलाओं ने देश के स्वप्न को साकार कर दिखाया :

फाल्गुनी नायर : निवेश बैंकिंग में 20 साल के लंबे करियर को छोड़कर, 50 साल की उम्र में एक ब्यूटी स्टार्टअप शुरू करके, फाल्गुनी नायर साल की सबसे सफल महिलाओं में से एक बन गईं। नायका की संस्थापक, फाल्गुनी अब भारत की सबसे बड़ी स्व–निर्मित महिला अरबपति हैं, क्योंकि साल 2021 की अंतिम तिमाही में फर्म के शेयरों में 89 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वह 6.5 बिलियन डॉलर की कंपनी के आधे हिस्से की मालिक हैं। उन्होंने साल 2012 में नायका शुरू करने के लिए, कोटक महिंद्रा समूह के प्रबंध निदेशक का पद छोड़ दिया। नायका, भारतीयों के लिए सस्ती, दुर्लभ और लक्जरी ब्रांडों के प्रोडक्ट्स का तैयार करता है।

अवनि लेखरा : 11 साल की उम्र में एक दुर्घटना का शिकार होने के बाद, अवनि एक व्हीलचेयर पर आ गई थीं, क्योंकि उनका निचला शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। जब सभी को लगा कि अब उनके लिए जीवन रुक सा गया है, तब अवनि ने एक नए सफर पर निकलने का फैसला किया और जयपुर की 19 साल की यह लड़की पैरालिंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी।

तुलसी गौड़ा : कर्नाटक के हलक्की वोक्कालू आदिवासी समुदाय की तुलसी गौड़ा को जंगल की रक्षा करने के उनके प्रयासों व योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 'जंगल की एन्साइक्लोपीडिया' के नाम से मशहूर 72 वर्षीया तुलसी ने 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। तुलसी, कभी स्कूल नहीं गईं और 12 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। इसके बावजूद, उनके पास पौधों को बस एक बार छूकर पहचानने की अनूठी क्षमता है। वह कर्नाटक वन विभाग के साथ–साथ पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल रत्न हैं।

गीता गोपीनाथ : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की पहली उप प्रबंध निदेशक, गीता गोपीनाथ वर्तमान में FDMD जेफ्री ओकामोटो की जगह लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैसूर की मूल निवासी गीता, एक टेक्नोक्रेट और कई किताबों की

लेखिका हैं। इस 50 वर्षीया महिला ने साल 2001 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की और आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला बनीं।

मीराबाई चानू : टोक्यो ओलंपिक–2020 में, महिला वर्ग के 49 किग्रा वेटलिफ्टिंग में रजत पदक विजेता, मीराबाई चानू भारत की पावर लेडी हैं। मणिपुर के एक पारंपरिक परिवार में जन्मी मीराबाई ने साल 2016 में हुए रियो ओलंपिक से डेब्यु किया था। वह 22 साल की उम्र में कर्णम मल्लेश्वरी के बाद, वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनीं। मीराबाई सिर्फ 11 साल की थीं, जब उन्होंने एक कॉम्पीटिशन में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। उनकी ताकत को परिवार ने तब पहचाना, जब उन्हें पास की एक पहाड़ी से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। खेल जगत में उनके योगदान के लिए, उन्हें साल 2018 में पद्म श्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

नीना गुप्ता : नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में प्रोफेसर हैं। उन्हें, एफाइन बीजगणितीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उल्लेखनीय काम के लिए, DST & ICTP & IMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला और चौथी भारतीय हैं। कोलकाता में जन्मी और पली–बढ़ीं, नीना ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान से गणित में मास्टर्स और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इस विषय में उनका ज्ञान और रुचि, हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है।

पीवी सिंधु : साल 2013 में हुए 'मलेशियाई ओपन ग्रैंड प्रिक्स' में जीत हासिल करने के बाद से, पीवी सिंधु का नाम भारत में बैडमिंटन का पर्याय बन गया है। साल 2019 में, वह बैडमिंटन विश्व चौंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनीं। सिंधु, रियो ओलंपिक–2016 और टोक्यो ओलंपिक–2020 में लगातार दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। हैदराबाद के एक स्पोर्ट्स फैमिली में जन्मीं यह 26 वर्षीया खिलाड़ी, अब महिला एकल की विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पर है।

हरनाज संधू : देश के 21 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए, मिस यूनिवर्स का ताज भारत लाने वाली हरनाज संधू को सालों तक अपने पतले फिगर के कारण बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ की रहनेवाली हरनाज मेंटल हेल्थ के मुद्दे को आम करने की भी वकालत करती हैं। ब्यूटी काम्पीटिशन्स का उनका सफर तब शुरू हुआ, जब 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने शहर का प्रतिनिधित्व करते हुए एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया। वह साल 2019 में 'फेमिना मिस इंडिया' में भाग लेने गईं और उसी वर्ष फेमिना मिस इंडिया पंजाब का ताज भी जीता।

लीना नायर : फ्रेंच लक्जरी फैशन हाउस 'शनेल (Chanel)' की लेटेस्ट ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव (सीईओ), लीना नायर, यूनिलीवर की पहली महिला और सबसे कम उम्र की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी (सीएचआरओ) भी थीं। महाराष्ट्र की मूल निवासी लीना ने मैनेजमेंट में अपना करियर तब शुरू किया, जब उनकी कंपनी में केवल दो प्रतिशत महिला कर्मचारी थीं। उन्हें साल 2021 की फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भी शामिल किया गया था।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ : भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक, भावना कंठ साल 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायु सेना (IAF) की झांकी में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनीं। अवनि चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ, उन्हें इसमें शामिल किया गया। उन्हें, साल 2016 में पहली महिला फाइटर पायलट के तौर पर IAF में शामिल किया गया था। बिहार में जन्मी, भावना ठडै कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बैंगलोर) से मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक हैं। उन्हें जून 2016 में IAF के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था।

कृति कारंत : सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ स्टडीज में मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक, कृति कारंत 'वाइल्ड इनोवेटर अवॉर्ड–2021' जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं। यह अवॉर्ड, वाइल्ड एलीमेंट्स नामक एक फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जो हालातों को बदलने और वैश्विक स्थिरता और संरक्षण के समाधान की पहचान करने की वकालत करता है। भारत में एक प्रमुख संरक्षण वैज्ञानिक, कृति को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काफी विशेषज्ञता हासिल है। मंगलुरु की मूल निवासी कृति को 'वीमेन ऑफ डिस्कवरी अवॉर्ड–2019' से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह अवॉर्ड, 'विंग्स वर्ल्डक्वेस्ट' नाम के एक संगठन द्वारा, महिला वैज्ञानिकों को संबंधित क्षेत्रों में उनके असाधारण काम के लिए दिया जाता है।

शैली सिंह : शैली सिंह वह एथलीट जिसने बिना सही जूतों के अपने करियर की शुरुआत की और साल 2021 में अंडर–18 यूथ लॉन्ग जंप में वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब जीता। वह झांसी में एक सिंगल मदर की बेटी के रूप में पैदा हुई थीं। जीवन में कई कठिनाइयों को पार करने वाली शैली के लिए लॉन्ग जंप कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्हें बेंगलुरु में 'अंजू बॉबी जॉर्ज स्पोर्ट्स फाउंडेशन' में ट्रेनिंग दी गई थी। शैली अब अंडर–18 लॉन्ग जंपर्स की सूची में दुनिया भर के टॉप 20 खिलाड़ियों में से एक हैं। ■

हमारी प्रेरणा का स्त्रोत हैं वे सब महिलाएं जिन्होंने देश के सम्मान में वृद्धि की है.

भारत के स्वप्नों के वाहक - ई. श्रीधरन

''भारत के मेट्रो मैन'' के रूप में लोकप्रिय ई. श्रीधरन को कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो के निर्माण में उनके नेतृत्व द्वारा भारत में सार्वजनिक परिवहन की सूरत बदलने का श्रेय दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब हर कोई यह सोच रहा था कि मुंबई और कोच्चि के बीच की दूरी कम करना एक असंभव कार्य है, तकनीकी रूप से अव्यावहारिक है, तथा इसमें बहुत पैसा खर्च होगा, तो एक व्यक्ति ही था जिसने सभी तर्कों को चुनौती दी।

यह ई. श्रीधरन की सफलता की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी अपने उद्देश्य के प्रति अटूट निष्ठा और अथक सेवा ने अमिट छाप छोड़ी है। 12 जून 1932 को केरल के पलक्कड़ में जन्मे श्रीधरन ने प्रारंभिक वर्षों से ही प्रतिभा का परिचय दिया।

सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, काकीनाडा से सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद श्रीधरन ने सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में अप्रेंटिसशिप की। साथ ही, उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की, 1953 में इसे पास किया और उसके बाद दक्षिणी रेलवे में प्रोबेशनरी असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर नियुक्त हुए।

कोलकाता मेट्रो की डिजाइनिंग, योजना और क्रियान्वयन की महती जिम्मेदारी सौंपे जाने पर, श्रीधरन भारतीय बुनियादी ढांचे में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरे। 1970 से 1975 तक उप मुख्य अभियंता के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने न केवल कोलकाता मेट्रो का निर्माण किया, बल्कि समकालीन शहरी विकास की दिशा में भी मार्ग प्रशस्त किया। 1990 में कोंकण रेलवे के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद पर उनकी पदोन्नति ने एक नया अध्याय शुरू किया। कठिन चुनौतियों के बावजूद, इस परियोजना में तकनीकी परिवर्तन के सात साल लगे। इस परियोजना में अग्रणी तरीकों, नवीन प्रौद्योगिकियों और नवीन प्रतिमानों का उपयोग किया गया, क्योंकि यह 760 किलोमीटर तक फैली हुई थी, जिसमें 150 से अधिक पुल और 93 सुरंगें शामिल थीं। 1990 में श्रीधरन को उनकी प्रारंभिक सेवानिवृत्ति तिथि के बाद भी अपने पद पर बनाये रखने के केन्द्र सरकार के निर्णय से भारत को असाधारण सार्वजनिक परिवहन की अपार संभावनाएं प्राप्त हुईं। श्रीधरन की विरासत की सबसे बड़ी उपलब्धि दिल्ली मेट्रो है। उनकी सरलता का एक उदाहरण, दिल्ली मेट्रो पूरे देश में मेट्रो प्रणालियों के लिए एक प्रतिष्ठित उदाहरण के रूप में खड़ा है।

श्रीधरन की उपलब्धियों को प्रतिष्ठित पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता दी गईः 2001 में भारत सरकार से पद्मश्री, 1950 में फ्रांस से ऑर्डर ऑफ लीजन डी'होनूर और 2008 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित पद्म विभूषण। कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में काम करने और काम को अंजाम देने के जज्बे ने उन्हें जीवनभर अपने काम में सफलता दिलाई है। ■

भारत के स्वप्नों के वाहक - इसरो के सोमनाथ

जन्म 7 जुलाई 1963 में, अलप्पुझा, केरल थंगल कुंजू मुसलियार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बी. टेक., मैकेनिकल इंजीनियरिंग), भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु (एम.टेक., एयरोस्पेस इंजीनियरिंग)। श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ (जन्म जुलाई 1963) एक भारतीय एयरोस्पेस इंजीनियर हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उनकी अध्यक्षता में, इसरो ने चंद्रयान–3 नामक तीसरा भारतीय चंद्र अन्वेषण मिशन चलाया। विक्रम नाम का लैंडर और प्रज्ञान नाम का रोवर 23 अगस्त 2023 को चंद्र दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास उतरा, जिससे भारत चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन गया ।

सोमनाथ ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम के निदेशक और द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र, तिरुवनंतपुरम के निदेशक के रूप में कार्य किया। सोमनाथ को प्रक्षेपण यान डिजाइन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से प्रक्षेपण यान प्रणाली इंजीनियरिंग, संरचनात्मक डिजाइन, संरचनात्मक गतिशीलता और आतिशबाजी बनाने की विद्या के क्षेत्रों में। सोमनाथ ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट ऑगस्टाइन हाई स्कूल, अरूर से की और महाराजा कॉलेज, एर्नाकुलम से अपना प्री–यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पूरा किया। उन्होंने थंगल कुंजू मुसलियार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोल्लम, केरल विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और डायनेमिक्स और नियंत्रण में विशेषज्ञता के साथ भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनके पास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) में

पीएचडी थीसिस है। सोमनाथ की शादी वल्सला से हुई है और उनकी एक बेटी और एक बेटा है।
स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सोमनाथ 1985 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में शामिल हो गए। वे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के शुरुआती चरण में इससे जुड़े थे। वे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के एसोसिएट डायरेक्टर और 2010 में जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क ⅢⅢ लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। वे नवंबर 2014 तक प्रोपल्शन और स्पेस ऑर्डनेंस एंटिटी के डिप्टी डायरेक्टर भी रहे। जून 2015 में, उन्होंने तिरुवनंतपुरम के वलियामाला में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर के निदेशक का पदभार संभाला और जनवरी 2018 तक सेवा की। सोमनाथ ने के. सिवन से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक का पदभार संभाला, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष बने। जनवरी 2022 में, उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला, फिर के. सिवन का स्थान लिया।

विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के सम्मान में, सोमनाथ को 18वें वार्षिक दीक्षांत समारोह के अवसर पर 25 सितंबर को एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु द्वारा डॉक्टरेट ऑफ साइंस (ऑनोरिस कॉसा) से सम्मानित किया गया। 23 अगस्त 2023 को, उन्होंने इसरो के अध्यक्ष के रूप में अन्य उल्लेखनीय वरिष्ठ इसरो वैज्ञानिकों के साथ चंद्र सतह के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान –3 की सॉफ्ट लैंडिंग का नेतृत्व किया।

उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने 10 अक्टूबर, 2023 को आयोजित अपने 7वें दीक्षांत समारोह के दौरान उन्हें साहित्य में डॉक्टरेट की मानद उपाधि (डी.लिट.) प्रदान की। 2014 में, एस सोमनाथ को इसरो से जीएसएलवी एमके–III के लिए प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। 2023 में, कर्नाटक सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया। ■

भारत के स्वप्नों के वाहक - एम् एस स्वामीनाथन

'हरित क्रांति के जनक' कहे जाने वाले मोनकोम्ब संबासिवन (एम.एस) स्वामीनाथन जन्म 7 अगस्त, 1925 को कुंभकोणम, तमिलनाडु, भारत हुआ था, जो महात्मा गांधी की मान्यताओं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से काफी प्रभावित थे। शुरुआत में उनका इरादा चिकित्सा के क्षेत्र मंट अपना पेशा अपनाने का था लेकिन 1942–1943 के बंगाल अकाल के बारे में जानने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। इस भयानक घटना का उन पर गंभी प्रभाव पड़ा और भारत के कृषि उद्योग को बढ़ाने की उनकी इच्छा जागृत हुई। उन्होंने कृषि अध्ययन व अनुसंधान को आगे बढ़ाया, आनुवंशिकी और प्रजनन में गहनता से कार्य किये, इस विश्वास के साथ कि उन्नत फसल किस्मों का किसानों के जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है एवं खाद्य की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने खाद्य और कृषि संगठन परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया तथा अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण एवं कृषि संगठनों में नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाईं।

उन्हें हरित क्रांति में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिये व्यापक रूप से पहचाना गया, जो भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी चरण था जिसने फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की और राष्ट्र के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। अधिक उपज वाली गेहूँ और चावल की किस्मों, विशेष रूप से अर्ध–वामन गेहूँ की किस्मों को विकसित करने में स्वामीनाथन के अभूतपूर्व कार्य ने 1960 एवं 70 के दशक के दौरान भारत में कृषि में क्रांति ला दी। इस परिवर्तन से फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया और अकाल का खतरा टल गया। स्वामीनाथन ने किसानों के कल्याण हेतु कृषि उपज के लिये उचित मूल्य और धारणीय कृषि पद्धतियों पर जोर दिया। 'स्वामीनाथन रिपोर्ट' कृषि क्षेत्र में संकट के कारणों का आकलन प्रस्तुत करती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) इस रिपोर्ट की सिफारिशों में से एक है, इसके अनुसार MSP औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिये, यह आज भी पूरे भारत में कृषि संघों की प्राथमिक मांग है। MSP वह कीमत है जिस पर सरकार सीधे किसानों से फसल खरीदती है। पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2001 में उन्होंने पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार के संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें 'मन्नार की खाड़ी समुद्री जीवमंडल (Go MMB)' और 'समुद्र तल से नीचे धान की पारंपरिक खेती' वाले केरल के कुट्टनाड को विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण कृषि विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान कराने के लिये जाना जाता है। उन्होंने इन क्षेत्रों की जैवविविधता और पारिस्थितिकी के संरक्षण एवं संवर्द्धन में भी अहम योगदान दिया। उन्होंने सतत् कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1988 में एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) की भी स्थापना की। MSSRF गरीब समर्थक, महिला समर्थक और प्रकृति समर्थक दृष्टिकोण के साथ विशेष रूप से जनजातीय एवं ग्रामीण समुदायों पर ध्यान केंद्रित करता है।

उन्हें वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें पद्म श्री (1967), पद्म भूषण (1972) और पद्म विभूषण (1989) से भी सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार (1971) और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार (1986) सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी अलंकृत किया गया था. ■

कहानी

एक जीवी, एक रत्नी, एक सपना

– अमृता प्रीतम

पालक एक आने गठ्ठी, टमाटर छह आने रत्तल और हरी मिर्चें एक आने की ढेरी ''पता नहीं तरकारी बेचनेवाली स्त्री का मुख कैसा था कि मुझे लगा पालक के पत्तों की सारी कोमलता, टमाटरों का सारा रंग और हरी मिर्चों की सारी खुशबू उसके चेहरे पर पुती हुई थी।

एक बच्चा उसकी झोली में दूध पी रहा था। एक मुठ्ठी में उसने माँ की चोली पकड़ रखी थी और दूसरा हाथ वह बार–बार पालक के पत्तों पर पटकता था। माँ कभी उसका हाथ पीछे हटाती थी और कभी पालक की ढेरी को आगे सरकाती थी, पर जब उसे दूसरी तरफ बढ़कर कोई चीज ठीक करनी पड़ती थी, तो बच्चे का हाथ फिर पालक के पत्तों पर पड़ जाता था। उस स्त्री ने अपने बच्चे की मुठ्ठी खोलकर पालक के पत्तों को छुडाते हुए घूरकर देखा, पर उसके होठों की हँसी उसके चेहरे की सिल्वटों में से उछलकर बहने लगी। सामने पड़ी हुई सारी तरकारी पर जैसे उसने हँसी छिड़क दी हो और मुझे लगा, ऐसी ताजी सब्जी कभी कहीं उगी नहीं होगी।

कई तरकारी बेचनेवाले मेरे घर के दरवाजे के सामने से गुजरते थे। कभी देर भी हो जाती, पर किसी से तरकारी न खरीद सकती थी। रोज उस स्त्री का चेहरा मुझे बुलाता रहता था।

उससे खरीदी हुई तरकारी जब मैं काटती, धोती और पतीले में डालकर पकाने के लिए रखती–सोचती रहती, उसका पति कैसा होगा! वह जब अपनी पत्नी को देखता होगा, छूता होगा, तो क्या उसके होंठों में पालक का, टमाटरों का और हरी मिर्चों का सारा स्वाद घुल जाता होगा?

कभी–कभी मुझे अपने पर खीज होती कि इस स्त्री का खयाल किस तरह मेरे पीछे पड़ गया था। इन दिनों मैं एक गुजराती उपन्यास पढ़ रही थी। इस उपन्यास में रोशनी की लकीर–जैसी एक लड़की थी–जीवी। एक मर्द उसको देखता है और उसे लगता है कि उसके जीवन की रात में तारों के बीज उग आए हैं। वह हाथ लम्बे करता है, पर तारे हाथ नहीं आते और वह निराश होकर जीवी से कहता है, ''तुम मेरे गाँव में अपनी जाति के किसी आदमी से ब्याह कर लो। मुझे दूर से सूरत ही दिखती रहेगी।'' उस दिन का सूरज जब जीवी देखता है, तो वह इस तरह लाल हो जाता है, जैसे किसी ने कुँवारी लड़की को छू लिया हो कहानी के धागे लम्बे हो जाते हैं, और जीवी के चेहरे पर दुःखों की रेखाएँ पड़ जाती हैं इस जीवी का खयाल भी आजकल मेरे पीछे पड़ा हुआ था, पर मुझे खीज नहीं होती थीं, वे तो दुःखों की रेखाएँ थीं, वही रेखाएँ जो मेरे गीतों में थीं, और रेखाएँ रेखाओं में मिल जाती हैं पर यह दूसरी जिसके होठों पर हँसी की बूँदे थीं, केसर की तुरियाँ थीं। दूसरे दिन मैंने अपने पाँवों को रोका कि मैं उससे तरकारी खरीदने नहीं जाऊँगी। चौकीदार से कहा कि यहाँ जब तरकारी बेचनेवाला आए तो मेरा दरवाजा खटखटाना दरवाजे पर दस्तक हुई। एक–एक चीज को मैंने हाथ लगाकर देखा। आलू–नरम और गड्ढों वाले। फरसबीन–जैसे फलियों के दिल सूख गए हों। पालक–जैसे वह दिन–भर की धूल फाँककर बेहद थक गई हो। टमाटर–जैसे वे भूख के कारण बिलखते हुए सो गए हो। हरी मिर्चें–जैसे किसी ने उनकी साँसों में से खुशबू निकाल ली हो, मैंने दरवाजा बन्द कर लिया। और पाँव मेरे रोकने पर भी उस तरकारी वाली की ओर चल पड़े।

आज उसके पास उसका पति भी था। वह मंडी से तरकारी लेकर आया था और उसके साथ मिलकर तरकारियों को पानी से धोकर अलग–अलग रख रहा था और उनके भाव लगा रहा था। उसकी सूरत पहचानी–सी थी इसे मैंने कब देखा था, कहाँ देखा था– एक नई बात पीछे पड़ गई।

''बीबी जी, आप!''

''मैं पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं।''

''इसे भी नहीं पहचाना ? यह रत्नी!''

''माणकू रत्नी।'' मैंने अपनी स्मृतियों में ढूँढ़ा, पर माणकू और रत्नी कहीं मिल नहीं रहे थे।

''तीन साल हो गए हैं, बल्कि महीना ऊपर हो गया है। एक गाँव के पास क्या नाम था उसका आपकी मोटर खराब हो गई थी।''

''हाँ, हुई तो थी।''

''और आप वहाँ से गुजरते हुए एक ट्रक में बैठकर धुलिया आए थे, नया टायर खरीदने के लिए।''

''हाँ–हाँ।'' और फिर मेरी स्मृति में मुझे माणकू और रत्नी मिल गए।

रत्नी तब अधखिली कली–जैसी थी और माणकू उसे पराए पौधे पर से तोड़ लाया था। ट्रक का ड्राइवर माणकू का पुराना मित्र था। उसने रत्नी को लेकर भागने में माणकू की मदद की थी। इसलिए रास्ते में वह माणकू के साथ हँसी–मजाक करता रहा।

रास्ते के छोटे–छोटे गाँवों में कहीं खरबूजे बिक रहे होते, कहीं ककड़ियाँ, कहीं तरबूज! और माणकू का मित्र माणकू से ऊँची आवाज में कहता, ''बड़ी नरम हैं, ककडियाँ खरीद ले। तरबूज तो सुर्ख लाल हैं और खरबूजा बिलकुल मिश्री है खरीदना नहीं है तो छीन ले वाह रे रांझे!''ढच''ढ च=''''झ ढध्च''ढझ

'अरे, छोड़ मुझे रांझा क्यों कहता है? रांझा साला आशिक था कि नाई था? हीर की डोली के साथ भैंसें हाँककर चल पड़ा। मैं होता न कहीं।'

'वाह रो माणकू! तू तो मिर्जा है मिर्जा!'

'मिर्जा तो हूँ ही, अगर कहीं साहिबाँ ने मरवा न दिया तो!' और फिर माणकू अपनी रत्नी को छेड़ता, 'देख रत्नी,

साहिबाँ न बनना, हीर बनना।'

'वाह रे माणकू, तू मिर्जा और यह हीर! यह भी जोड़ी अच्छी बनी!' आगे बैठा ड्राइवर हँसा।

इतनी देर में मध्यप्रदेश का नाका गुजर गया और महाराष्ट्र की सीमा आ गई। यहाँ पर हर एक मोटर, लॉरी और ट्रक को रोका जाता था। पूरी तलाशी ली जाती थी कि कहीं कोई अफीम, शराब या किसी तरह की कोई और चीज तो नहीं ले जा रहा। उस ट्रक की भी तलाशी ली गई। कुछ न मिला और ट्रक को आगे जाने के लिए रास्ता दे दिया गया। ज्यों ही ट्रक आगे बढ़ा, माणकू बेतहाशा हँस दिया।

'साले अफीम खोजते हैं, शराब खोजते हैं। मैं जो नशे की बोतल ले जा रहा हूँ, सालों को दिखी ही नहीं।'

और रत्नी पहले अपने आप में सिकुड़ गई और फिर मन की सारी पत्तियों को खोलकर कहने लगी,

'देखना, कहीं नशे की बोतल तोड़ न देना! सभी टुकड़े तुम्हारे तलवों में उतर जाएँगे।'

'कहीं डूब मर!'

'मैं तो डूब जाऊँगी, तुम सागर बन जाओ!'

मैं सुन रही थी, हँस रही थी और फिर एक पीड़ा मेरे मन में आई, 'हाय री स्त्री, डूबने के लिए भी तैयार है, यदि तेरा प्रिय एक सागर हो!'

फिर धुलिया आ गया। हम ट्रक में से उतर गए और कुछ मिनट तक एक खयाल मेरे मन को कुरेदता रहा– यह 'रत्नी' एक अधखिली कली–जैसी लड़की। माणकू इसे पता नहीं कहाँ से तोड़ लाया था। क्या इस कली को वह अपने जीवन में महकने देगा ? यह कली कहीं पाँवों में ही तो नहीं मसली जाएगी ?

पिछले दिनों दिल्ली में एक घटना हुई थी। एक लड़की को एक मास्टर वायलिन सिखाया करता था और फिर दोनों ने सोचा कि वे बम्बई भाग जाएँ। वहाँ वह गाया करेगी, वह वायलिन बजाया करेगा। रोज जब मास्टर आता, वह लड़की अपना एक–आध कपड़ा उसे पकड़ा देती और वह उसे वायलिन के डिब्बे में रखकर ले जाता। इस तरह लगभग महीने–भर में उस लड़की ने कई कपड़े मास्टर के घर भेज दिए और फिर जब वह अपने तीन कपड़ों में घर से निकली, किसी के मन में सन्देह की छाया तक न थी। और फिर उस लड़की का भी वही अंजाम हुआ, जो उससे पहले कई और लड़कियों का हो चुका था और उसके बाद कई और लड़कियों का होना था। वह लड़की बम्बई पहुँचकर कला की मूर्ति नहीं, कला की कब्र बन गई, और मैं सोच रही थी, यह रत्नी यह रत्नी क्या बनेगी ?

आज तीन वर्ष बाद मैंने रत्नी को देखा। हँसी के पानी से वह तरकारियों को ताजा कर रही थी, 'पालक एक आने गठ्ठी, टमाटर छह आने रत्तल और हरी मिर्चें एक आने ढेरी।' और उसके चेहरे पर पालक की सारी कोमलता, टमाटरों का सारा रंग और हरी मिर्चों की सारी खुशबू पुती हुई थी।

जीवी के मुख पर दुःखों की रेखाएँ थीं – वहीं रेखाएँ, जो मेरे गीतों में थीं और रेखाएँ रेखाओं में मिल गई थीं।

रत्नी के मुख पर हँसी की बूँदे थीं– वह हँसी, जब सपने उग आएँ, तो ओस की बूँदों की तरह उन पत्तियों पर पड़ जाती है, और वे सपने मेरे गीतों के तुकान्त बनते थे।

जो सपना जीवी के मन में था, वही सपना रत्नी के मन में था। जीवी का सपना एक उपन्यास के आँसू बन गया और रत्नी का सपना गीतों के तुकान्त तोड़ कर आज उसकी झोली में दूध पी रहा था। ■

सपने

–रामबृक्ष बहादुरपुरी

सपने बुन लो, गुन लो धुन लो
खुद ही चुन लो, सपने बुन लो।
सारे सपने, होते अपने
सोच समझ कर
दिल की सुन लो।
गुन लो धुन लो, सपने बुन लो।
आंखें मूंदे, सपने देखे
सच होते क्या!
खुद ही गुन लो।
दिल की सुन लो, सपने बुन लो।
आंख खोल कर, देखो सपने
नीद कहां फिर, रातें गिन लो।
सपने बुन लो, गुन लो धुन लो।
हर एक सपना, ऊंचा देखो
ऊंचा ऊंचा, सोच समझ कर
खुद ही चुन लो।
सपने बुन लो, गुन लो धुन लो।

लीक से हटकर

उधार के 5000 रु से बना दी हजारों करोड़ रु की कंपनी

आज हम आपको जिस व्यक्ति की सफलता की कहानी बताने जा रहे है उनका नाम एम.पी. रामचंद्रन है। वे उजाला नील बनाने वाली ज्योति लेबोरेटरीज लिमिटेड के संस्थापक है। एम.पी.रामचंद्रन अपनी कड़ी मेहनत और लगन से लाखों युवा उद्यमियों के लिए मिसाल बने है।ज्योति लेबोरेटरीज के दो अहम प्रोडक्ट देश में काफी अधिक फेमस हुए है। उसमें उजाला लिक्विड क्लॉथ व्हाइटनर और मैक्सो मॉस्किटो रिपेलेंट्स शामिल है। आप जानकर काफी हैरान होंगे कि 13 हजार 583 करोड़ रु की कंपनी के मालिक एम. पी. रामचंद्रन ने कभी उधार के 5 हजार रु से बिजनेस की शुरुआत की थी।

उन्होंने अपने भाई से 5 हजार रु उधर लिए और इस राशि से एक अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की लेकिन, उनकी मेहनत और लगन से आज एक मल्टी ब्रांड कंपनी बन गई है। ज्योति लेबोरेटरीज का मार्केट कैप लगभग 13 हजार 583 करोड़ रु है। पोस्ट–ग्रेजुएशन के बाद एम पी रामचंद्रन ने अकाउंटेंट के रूप में कार्य करना शुरू किया। उनके भीतर हमेशा ही सीखने की इच्छा थी और वे हमेशा ही लीक से हटकर सोचते थे। उन्होंने इसी कारण कारोबार करने का निर्णय किया। उन्होंने कारोबार में भी अपनी इसी सोच को कायम रखकर कुछ अलग प्रोडक्ट्स बनाए। उन्होंने कपड़ों के लिए व्हाइटनर बनाने के लिए अपनी रसोई में इसको लेकर प्रयोग करना शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उनकी नजर एक दिन एक रासायनिक उद्योग पत्रिका पर पड़ी जिसमें कहा गया था कि बैंगनी रंग के रंगों का इस्तेमाल कपड़ा निर्माताओं को यथासंभव सफेद और चमकीले रंग प्राप्त करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। एम. पी. रामचंद्रन इसके बाद एक वर्ष तक बैंगनी रंगों के साथ यह प्रयोग करते रहे।

वर्ष 1984 में एम.पी.रामचंद्रन में केरल के त्रिशूर में पारिवारिक जमीन के एक छोटे–से भाग पर उन्होंने पर एक अस्थायी कारखाना लगाया। उन्होंने अपनी बेटी ज्योति के नाम पर कंपनी का नाम ज्योति लेबोरेटरीज रखा। सफेद कपड़ों की उपभोक्ता मांग के जवाब में लैब ने उजाला सुप्रीम लिक्विड फैब्रिक व्हाइटनर बनाया। शुरू में 6 महिलाओं के एक ग्रुप ने उत्पाद को घर–घर जाकर बेचा। जल्द ही उजाला सुप्रीम ने हर भारतीय घर में काफी लोकप्रियता हासिल कर ली। ज्योति लेबोरेटरीज का शुरुआत में दक्षिण भारत में बढ़ा और 1997 तक, यह प्रोडक्ट पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। आज, उजाला के पास लिक्विड फैब्रिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हिस्सेदारी है। ■

शाब्बाश

12 वीं पास, काम मोची का, इनके साहित्य-लैक्चर पर हो रही रिसर्च

पंजाब के चंडीगढ़ में टांडा रोड के साथ लगते मुहल्ला सुभाष नगर के द्वारका भारती (75) 12 वें पास हैं। घर चलाने के लिए मोची का काम करते हैं। सुकून के लिए साहित्य रचते हैं। भले ही वे 12 वीं पास हैं, पर साहित्य की समझ के कारण उन्हें वर्दीवालों को लेक्चर देने में बुलाया जाता है। कई भाषाओं में साहित्यकार इनकी पुस्तकों का अनुवाद कर चुके हैं। इनकी स्वयं की लिखी कविता एकलव्य इग्नू में एमए के बच्चे पढ़ते हैं, वहीं पंजाब विश्वविद्यालय में 2 होस्टल इन उपन्यास मोची पर रिसर्च कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यवसाय आपका भरण पोषण करे, वह इतना अधम हो ही नहीं सकता, जिसे करने में आपको शर्मिंदगी महसूस होगी।

सुभाष नगर में प्रवेश करते ही अपनी किराए की छोटी सी दुकान पर आज भी द्वारका भारती हाथों से नए नए जूते तैयार करते हैं। अक्सर उनकी दुकान के बाहर बड़े गाड़ियों में सवार साहित्य प्रेमी अधिकारियों और साहित्यकारों की पहुंचना और साहित्य पर चर्चा करना दिन का हिस्सा हैं। चर्चा के दौरान भी वह अपने काम से जी नहीं चुराते और पूरे मनोयोग से जूते गांठते रहते हैं। फुरसत के पलों में भारती दर्शन और कार्ल मार्क्स के अलावा पश्चिमी व लैटिन अमेरिकी साहित्य का अध्ययन करते हैं।

द्वारका भारती ने बताया कि 12 वीं तक पढ़ाई करने के बाद 1983 में होशियारपुर लौटे, तो वह अपने पुश्तैनी पेशे जूते गांठने में जुट गए। साहित्य से लगाव बचपन से था। डॉ. सुरेन्द्र अज्ञात की क्रांतिकारी लेखनी से प्रभावित हो उपन्यास जूठन का पंजाबी भाषा में किया गया। उपन्यास को पहले ही साल बेस्ट सेलर उपन्यास का खिताब मिला। इसके बाद पंजाबी उपन्यास मशालची का अनुवाद किया गया। इस दौरान दलित दर्शन, हिंदुत्व के दुर्ग पुस्तक लेखन के साथ ही हंस, दिनमान, वागर्थ, शब्द के अलावा कविता, कहानी व निबंध भी लिखे।

द्वारका भारती कहते हैं कि आज भी समाज में बर्तन धोने और जूते तैयार करने वाले मोची के काम को लोग हीनता की दृष्टि से देखते हैं, जो नकारात्मक सोच को दर्शाता है। आदमी को उसकी पेशा नहीं बल्कि उसका कर्म महान बनाता है। वह घर चलाने के लिए जूते तैयार करते हैं, वहीं मानसिक खुराक व सुकून के लिए साहित्य की रचना करते हैं। जूते गांठना हमारा पेशा है। इसी से मेरा घर व मेरा परिवार का भरण पोषण होता है। ■

ऐसे कर्मयोगी को हमारा नमन है।

देवभूमि की चार धाम यात्रा - गंगोत्री धाम

– श्याम कस्तूरे

'देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे
त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे
शंकर मौली विहारिणी विमले
मम मति रास्तां तव पदकमले'

– श्री गंगा स्त्रोतम्

'हे देवी भगवती गंगे, देवों की देवी, आप अपने तरल रूप की दयालु तरंगों से तीनों लोकों को मुक्त करती हैं। हे माते, आप जो शिवजी की जटाओं में निवास करती है, हे माँ मेरी भक्ति आपके चरण कमलों में अक्षुण्ण बनी रहे ....'

यमुना धाम यमुनोत्री के पावन दर्शन के बाद देवभूमि की चार धाम यात्रा का अगला पड़ाव है, पापमोचनी माँ गंगा का पवित्र धाम "गंगोत्री"।

यमुनोत्री से गंगोत्री की दूरी सड़क मार्ग से 223 कि. मी. है। यह जानकी चट्टी से बरकोट, उत्तरकाशी होते हुए सम्पन्न होती है। टैक्सी द्वारा चार से साढ़े चार घंटे में आप औसतन सात – साढ़े सात हजार रूपए किराया देकर गंगोत्री पहुँच सकते हैं। बसें सीधे गंगोत्री नहीं जाती इसलिए बस यात्रा 10–12 घंटे में पूरी होती है, जिसका किराया एक हजार रुपए के आस–पास बैठता है। हेलीकॉप्टर से यमुनोत्री के खरसाली हेलीपैड से गंगोत्री के हर्षिल हेलीपेड पर 35–40 मिनट में पहुँच जाते हैं। यहाँ से गंगोत्री धाम सड़क मार्ग से 22 कि.मी. की दूरी पर है। हेलीकॉप्टर यात्रा अपेक्षाकृत महँगी है और चार धाम तथा दो धाम के पैकेज में उपलब्ध है। चार धाम पैकेज गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ व केदारनाथ हेतु औसतन 1. 70 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के मूल्य पर देहरादून से उपलब्ध है। दो धाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री हेतु औसतन 85 से 90 हजार रुपए में और बद्रीनाथ, केदारनाथ यात्रा पैकेज 1 लाख 10 हजार रुपए में उपलब्ध है।

गंगोत्री धाम मंदिर उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री कस्बे में हिमालय की मनोरम वादियों में 10,200 फीट (3,100 मीटर) की ऊँचाई पर स्थित है। यह माँ गंगा का सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित आराधना स्थल है। शांति के प्रतीक सफेद संगमरमर का यह दिव्य पूजा स्थल ग्रेटर हिमालयन रेंज में हिमाच्छादित शिखरों देवदार और पाइन के ऊँचे – ऊँचे वृक्षों से घिरा हुआ है। पवित्र भागीरथी नदी पास में ही प्रवाहित होती है, जिसके बांये किनारे पर यह स्थित है।

माना जाता है कि यह मंदिर नागर स्थापत्य शैली में बनाया गया है। इस पर पाँच छोटे – छोटे शिखर हैं, जिनकी ऊँचाई मात्र बीस फीट है। गर्भगृह एक ऊँचे चबूतरे पर बनाया गया है। गर्भगृह के सामने मंडप है, जिसमें बैठकर तीर्थ यात्री पूजा अर्चना एवं प्रार्थना करते हैं।

ऐसी मान्यता है कि मूलतः गंगोत्री धाम की स्थापना 8 वीं शताब्दी में जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ने की थी जो कि उसके भी पूर्व पांडवों द्वारा बनाये गये पूजा स्थल के पास ही है। तत्पश्चात इसे 18 वीं सदी के आरम्भ में एक नेपाली जनरल अमरसिंह थापा ने बनवाया। मंदिर को वर्तमान स्वरूप

जयपुर के महाराजा ने दिया।

वैसे गंगा नदी का मूल उद्गम स्त्रोत भारी बर्फ से ढ़ँके गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से है, जो कि उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय पर्वत के सबसे विशाल ग्लेशियर्स में से एक है। ग्लेशियर का आयतन अनुमानित रूप से 27 क्यूबिक किमी है, लंबाई में करीब 30 कि.मी. व चौड़ाई 2 से 4 कि.मी. है। यह तिब्बत की सीमा क्षेत्र के पास है। उद्गम स्थल से यह भगीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम के उपरांत वह गंगा कहलाती है.

गंगोत्री धाम मंदिर में माँ गंगा की मुख्य मूर्ति के साथ गर्भगृह में यमुना, अन्नपूर्णा, सरस्वती एवं माता लक्ष्मी की तथा परिसर में राजा भगीरथ, आदि शंकराचार्य की भी प्रतिमाऐं विराजमान है। परिसर में शिवजी, श्री गणेश व हनुमान जी के भी छोटे पूजा स्थल हैं। मुख्य मंदिर के पास ही "भगीरथ शिला" स्थित है, जहाँ आख्यायिकाओं के अनुसार राजा भगीरथ ने तप किया और शिवजी से प्रार्थना की, कि वे माँ गंगा के शक्तिशाली प्रवाह को अपने शीश पर ग्रहण करें। पास ही एक प्राकृतिक जलमग्न शिवलिंग स्थित है, जो जलधारा से आप्लावित रहता है। शीत ऋतु में जब जल स्तर कम होता है, उस समय आप उसे देख सकते हैं। किवदन्तियों व मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर बैठकर ही शिवजी ने अत्यंत तीव्र गति से प्रवाहित माँ गंगा की धाराओं को अपनी विशाल जटाओं में ग्रहण किया।

पतित पावनी माँ गंगा के साक्षात स्वरूप में स्नान तथा पवित्र देवी स्वरूप के दर्शन की दिव्य अनुभूति एक अद्वितीय अनुभव है। जिसे पाकर हम धन्य हो जाते हैं। केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम की रोमांचक यात्रा का वृतांत अगली बार ... ■

– मो. 9425006242 ईमेल – kasture.shyam@gmail.com

भारत में पर्यटन के लिए इजराइल का अपने नागरिकों से आग्रह

– इं. राजेश पाठक

बालीवुड के फिल्मी सितारों की तरह इस्लामी देश मालदीव ने, हमास के दुराचारों को भूल इस्लाम को याद रख, फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल से आने वाले पर्यटकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है. लेकिन जवाब में जो इजराइल ने किया उसे भारत में बैठे हमास समर्थक भी देख लें. उसने अपने नागरिकों से आव्हान किया है कि भारत स्थित गोवा, अंडमान–निकोबार, लक्षदीप जैसे प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहें हैं. वहां पहुंचकर आनंद उठाईये !

इजराइल और भारत के बीच मित्रवत राजनयिक संबंधों को इसके अतिरिक्त भू–आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से भी देख लेना उचित होगा. तभी देश के अन्दर से निज–हित और मजहबी मंशा से फिलिस्तीन या दूसरे शब्दों में हमास के समर्थन में उठने वाली आवाज से होने वाली क्षति को ठीक तरह से समझा जा सकता है.

सितम्बर में जी– 20 की भारत में हुई बैठक में प्रस्तावित इंडिया–मिडिल ईस्ट–यूरोप आर्थिक कोरिडोर (IMEEC) सोयुज कैनाल को बायपास कर यूएई, सऊदी अरब से होता हुआ जॉर्डन और फिर इजराइल जहां अदानी के द्वारा निर्मित हायफा पोर्ट है, वहां से सीधा ये यूरोप से जुड़ने वाला है. फिर रेड सी पर स्थित सोयुज कनाल से निकलने वाला मार्ग सकरा है. टोकन सिस्टम के कारण शिप को यहाँ से निकलने में बड़ा समय लगता है. साथ ही अफ्रीकन महाद्वीप के पास से गुजरने के कारण सोमालिया के लुटेरों और हूती आंतकवादियों से ग्रस्त भी. जिसके विषय में हम आये दिन पढ़ते भी रहता हैं. दूसरी ओर इस क्षेत्र में पहले से ही मौजूद पोर्ट की श्रंखला आसानी से आयेमेक (IMEEC) को सऊदी अरब से होते हुए सीधे यूरोप से जोड़ देगी. अनुमान है कि इस नयी व्यवस्था से परिवहन लागत में 40 प्रतिशत तक की कमी आ जायेगी.

दूसरी तरफ, आज देश में लोगों के बहकावे में आकर हमास के पक्ष में जो खड़े हैं लगता है इंग्लैंड के शहर लेस्टर में 2 साल पहले एशिया कप में पाकिस्तान को भारत के हांथों मिली हार से उत्पन्न मजहबी उन्माद को वो भूल चुके हैं. इस शहर में भारतीय प्रवासियों में 1 लाख मुसलमान, 75 हजार हिन्दू और पाकिस्तान प्रवासी 10 हजार है. साथ ही बंगलादेशियों की भी संख्या कम नहीं. देश की जीत पर खुशी मानते हुए हिन्दू खेल प्रेमी जब सड़कों पर निकले तो पाकिस्तानियों, बंगलादेशियों और भारत के पाकिस्तान परस्तों को ये इतना बुरा लगा कि उन पर हमला बोल दिया. फिर क्या था, इस मामले को इंग्लैंड में सक्रिय पीएफआई (पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया) और अन्य जिहादी संगठनों नें अपने हांथों में ले लिया. नकाब पहनकर ये लोग हिन्दू बस्ती में घुसे तथा हिन्दू और भारत विरोधी नारे लगाते हुए घरों के साथ–साथ जिस किसी कार में हिन्दू देवी–देवताओं के प्रतीक चिन्ह लगे हुए थे उन पर हमले शुरू कर दिए. तनाव ने 50 किमी दूर स्थित बर्मिंघम को भी अपने में समेट लिया. भीड़ ने दुर्गा–भवन हिन्दू केंद्र का घेराव कर उत्तेजित नारे लगाये. ■

– ई मेल –rajeshpathakbpl@rediffmail.com मो. 9826337011

धारदार कलम

भारत 2020-नवनिर्माण की रूपरेखा

– डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

''हमारा विश्वास है कि एक राष्ट्र के रूप में हमें सन् 2020 तक कम से कम चौथे स्थान तक पहुंचने का लक्ष्य बना लेना चाहिए। यह सच है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सी बातें जेहन में रखनी होंगी। मिसाल के तौर पर अन्य देश हमारी आशाओं के विपरीत अपने लक्ष्य भी आगे पहुंच जाएं। यह भी मुमकिन है कि हमारे अनुमानित विकास के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय लेन–देन के क्षेत्र में, चाहे वह व्यापार के क्षेत्र में हो, वित्त के क्षेत्र में हो, या प्रौद्योगिकी के, या अन्य किसी क्षेत्र में हो, प्रतिस्पर्धा भी तीव्रतर हो जाए। यह प्रतिस्पर्धा कोई भी रुप या आकार जो मौजूदा रूप या आकार से जुदा होगा, ले सकती है। देश के अनेक द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यवस्थाओं से बंधे होने के बावजूद भारत के हितों के विरुद्ध अनैतिक तरीकों से मिलकर मिलजुल कर इन हितों में सेंध लगा सकते हैं। लेकिन इन सब संभावनाओं के बावजूद हमें यह सबक सीखना होगा कि विकसित होना और शीर्ष पर बैठे देश की कतार में जगह हासिल करना आसान नहीं है। इसलिए अपने विकास की गति में निरंतरता कायम रखने के उद्देश्य से हमें अपने आयात और निर्यात में हितकारी संतुलन बनाए रखना होगा और कृषि उद्योग तथा सेवा के क्षेत्र में अंतरजात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं और शक्तियों को अक्षुण्ण रखना होगा। और, यह सब कुछ करते समय हमें अपने इस बुनियादी लक्ष्य को भी सदा ध्यान में रखना होगा, बिना किसी से किसी तरह का समझौता किए। हम जो विकास कर रहे हैं उसका अंतिम लाभ देश के सब निवासियों को जल्दी से जल्दी मिलना शुरू हो जाना चाहिए।..... इस सम्बन्ध में देश की जनसंख्या पर भी निगाह डालना स्वाभाविक है।'' ■

– भारत 2020–नवनिर्माण की रूपरेखा पुस्तक से साभार

सामयिकी

जब एक वोट से गिरी थी वाजपेयी सरकार ?

– दिलीप जैमिनी

जब नयी लोक सभा का गठन हो रहा हो, सरकार बन रही हो, तो भारत के संसदीय लोकतंत्र के एक रोचक मोड़ का स्मरण प्रासंगिक हो जाता है, जब एक वोट से गई वाजपेयी की कुर्सी. इतिहास गवाह है कि ततकालीन भाजपा दिग्गज प्रमोद महाजन गिनती भूलने का जो खामियाजा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया था, उसका इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण नहीं है. वाजपेयी सरकार में बीजेपी के संकट मोचक रहे प्रमोद महाजन को सदन में विश्वास प्रस्ताव के दिन वोटों की गिनती में एक गिनती का भूलना इतना भारी पड़ा कि महज 13 महीने पहले ही देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे अटल बिहारी वाजपेयी को एक लंबा–चौड़ा भावुक भाषण देकर उस कुर्सी को अलविदा कहना पड़ा. तत्कालीन सरकार को समर्थन देने वाली जयललिता चाहती थीं कि प्रधानमंत्री वाजपेयी जयललिता के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के सभी मुकदमों को वापस ले लें और सुब्रह्मण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बना दें. साथ ही जयललिता ये भी चाहती थीं कि बतौर प्रधानमंत्री वाजपेयी तमिलनाडु में करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त कर दें, लेकिन वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं हुए.

परिणाम यह हुआ कि जयललिता नाराज हो गईं. और फिर हुई वो ऐतिहासिक चाय पार्टी, जिसने वाजपेयी सरकार को गिराने की नींव रख दी. इस चाय पार्टी ने जयललिता और सोनिया गांधी को एक साथ बिठा दिया. इस चाय पार्टी में ही कांग्रेस ने तय कर लिया कि अब वाजपेयी सरकार को गिराना है. इस चाय पार्टी के चंद दिनों के बाद ही जयललिता ने अपने मंत्रियों के इस्तीफे 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री वाजपेयी को भेज दिए. 8 अप्रैल को वाजपेयी ने इन इस्तीफों को राष्ट्रपति को भी भेज दिया. और फिर 14 अप्रैल 1999 को जयललिता ने राष्ट्रपति को सरकार से समर्थन वापसी का पत्र सौंप दिया. तब राष्ट्रपति केआर नारायणन ने वाजपेयी से कहा कि वो सदन में विश्वास मत हासिल करें.

वाजपेयी को उम्मीद थी कि कांशीराम मदद करेंगे. कांशीराम ने कहा भी कि वो भले ही वाजपेयी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन वो विरोध भी नहीं करेंगे. उनकी पार्टी बसपा के पास कुल पांच सांसद थे. इस बीच ओम प्रकाश चौटाला ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी राष्ट्रहित में वाजपेयी सरकार के पक्ष में ही वोट करेंगे. और तब वाजपेयी सरकार में पार्टी की आंख–कान हुआ करते थे प्रमोद महाजन. पक्ष और विपक्ष के वोट गिनने, उन्हें सरकार के पक्ष में लामबंद करने और हर जोड़–तोड़ कर सरकार बचाने की जिम्मेदारी प्रमोद महाजन की ही थी. वो सारा गुणा–गणित कर चुके थे. और इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि वाजपेयी सरकार बच जाएगी. लेकिन 17 अप्रैल को वोटिंग के दिन मायावती ने घोषणा कर दी कि वो वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट करेंगी. और तब प्रमोद

महाजन को झटका लगा. उनकी गिनती के पांच सांसद कम हो गए. फिर भी उनकी गिनती में इतने वोट थे कि सरकार बच जाए. लेकिन ऐन वक्त पर दो वोट ने वाजपेयी सरकार का खेल खराब कर दिया.

एक वोट था सैफुद्दीन सोज का, जो फारुख अब्दुल्ला वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस से सांसद थे. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद तो फारुख अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला भी थे, जो सरकार के सहयोगी थे और जिन्होंने वाजपेयी सरकार के पक्ष में वोट दिया था. लेकिन सैफुद्दीन सोज ने अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन कर वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट किया. लेकिन एक वोट, जिसकी गिनती करना प्रमोद महाजन भूल गए और जो वाजपेयी सरकार के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई, वो वोट था कांग्रेस के नेता और ओडिशा के मुख्यमंत्री गिरधर गमांग का. गिरधर गमांग कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन 17 फरवरी 1999 को ही वो ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए थे.

प्रमोद महाजन इस गलतफहमी में थे कि गिरधर गमांग ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है और वो सिर्फ मुख्यमंत्री हैं. लेकिन कांग्रेस को याद था कि उनका मुख्यमंत्री सांसद भी है. तो लंबे वक्त तक संसद से बाहर रहे गिरधर गमांग अचानक से 17 अप्रैल को लोकसभा में पहुंच गए. उनकी मौजूदगी से सत्ता पक्ष में खलबची मच गई. मामला लोकसभा अध्यक्ष जीएम बालयोगी तक पहुंचा. और जीएम बालयोगी ने गिरधर गमांग को ये सुविधा दे दी कि वो अपने विवेक के आधार पर वोटिंग करें. गमांग ने अपनी पार्टी की बात सुनी और वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट किया. और यही वो एक वोट था, जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को महज 13 महीने में ही इस्तीफा देना पड़ गया. तब सरकार के पक्ष में 269 वोट और सरकार के खिलाफ कुल 270 वोट पड़े थे.

अगर गिरधर गमांग ने वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट नहीं दिया होता और अगर नौबत बराबरी की आती तो तब के लोकसभा अध्यक्ष जीएम बालयोगी वाजपेयी सरकार के समर्थन में ही वोट करते, क्योंकि उनकी पार्टी टीडीपी एनडीए का हिस्सा थी और तब शायद वाजपेयी सरकार बच गई होती. ■

संदर्भवश

–चुनाव के नतीजे आ गए हैं. एक सुस्पष्ट चुनाव प्रक्रिया का समय पर पूरा होना, भीषण गर्मी के बाद भी मतदान प्रतिशत का सुदृढ़ रहना और हिंसा के बिना चुनाव संपन्न होना एक संतोष का विषय रहा. सरकारों के बनने बिगड़ने का नाम ही चुनाव है. जनता जनार्दन का जनादेश प्रजातंत्र में सर्वोपरि है. भाजपा को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाना सत्तारूढ़ दल के लिए निराशा का कारण माना जा सकता है लेकिन एक दो तीन दलों से मिली जुली सरकार जनादेश के अनुसार देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए इस आशा पर हमारे प्रजातंत्र की इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है. वर्तमान जनादेश के बारे में सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी अत्यंत प्रासंगिक है. भाजपा के लिए प्रसन्नता का कारण है कि वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है क्षेत्रीय दलों को अपनी खोई हुई जमीन पानी की प्रसन्नता है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को अपनी सीटें बढ़ जाने की प्रसन्नता है तो चुनाव आयोग इस बात को लेकर संतुष्ट है की ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर कोई प्रश्न नहीं खड़ा हुआ. मुद्दे की बात यह है कि देश और देशवासी अपने स्वप्नों के पूरा करने के लिए जनादेश देते हैं, जीत हार अपनी जगह है, भारत को विश्वशक्ति, सामरिक शक्ति बनने के प्रयास जारी रहना चाहिए, यह काम कौन सी चुनी सरकार करती है यह महत्व का नहीं है.

– लोक सभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट न मिल पाना आश्चर्य का विषय रहा. बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष 4 बार देश की सबसे अधिक जनसँख्या वाले प्रदेश की मुख्य मंत्री रह चुकी हैं और उनका जनाधार हाथों से रेत की तरह फिसलना चौंकाने वाली घटना है.

– मिलीजुली सरकार के अपने लाभ और हानियां हैं, जब बहुमत से चूक के बाद भाजपा को चंद्रबाबू नायडू और नितीश कुमार के समर्थन से अगले 5 वर्ष सरकार चलाने की विवशता है। सामान नागरिक कानून के लिए इन दोनों का विरोध जगजाहिर है. आर्थिक सुधारों के लिए जिस गति के लिए भाजपा जानी जाती है, वह उस स्वतंत्रता से काम नहीं कर पायेगी. आगामी समय में लोक सभा के गतिरोध और बहिर्गमन की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता. तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द स्मरणीय हैं, ''सरकारें आएंगी सरकारें जाएँगी, ''पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए।''

– किसी विकसित देश के लिए अधोसंरचना और तकनीकी विकास के लिए अभियांत्रिकी प्रशिक्षण, उससे उत्पन्न रोजगार से युवाओं को नयी संभावनाओं का अपना महत्व है. देश में इंजीनियरिंग के प्रति घटता रुझान एक चिंता का विषय बन रहा है. संभवतः अभियांत्रिकी नौकरी पाने का एक एक निश्चित मार्ग होने की पहचान खो रहा है. कानपुर आईआईटी के 35ः उत्तीर्ण छात्र नौकरी पाने में असफल रहे हैं. यही स्थिति मद्रास आईआईटी (32%), आईआईटी दिल्ली (35%), हैदराबाद (40%), खड़गपुर (12%), पलक्कड़ (57%) छात्र नौकरी पाने में असफल रहे हैं. 2010 के बाद से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश में 17% तक की गिरावट देखी गयी है. इंजीनियरिंग की केवल कंप्यूटर विधा में छात्रों की रूचि का बढ़ना एक देश में दीर्घकालिक विकास के लिए एक शून्य उत्पन्न कर सकता है.

– चुनाव आंकड़ों का खेल है. अधिकतम मतों का कीर्तिमान बनाया है भाजपा के शंकर लालवानी (इंदौर) ने, जो 11.72 लाख मतों से विजयी रहे तो कांग्रेस के रकीबुल हुसैन धुबरी आसाम से 10.12 लाख मतों से विजयी रहे. महाराष्ट्र में मुंबई पूर्व से रविंद्र वाइकर केवल 48 वोट से विजयी रहे. केरल से कांग्रेस के अडूर प्रकाश 684 मतों से विजयी रहे.

–फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर एक सुरक्षा कर्मी महिला का आक्रमण इतना चौंकाने वाला है, उससे अधिक चौंकाने वाला है इस घटना के लिए आक्रामक सुरक्षा कर्मी को सोशल मीडिया में मिलता समर्थन. ऐसी घटनाएं प्रजातंत्र पर कलंक हैं, जब मतभेद हिंसा के द्वारा सुलझाए जाने लगें और कल इस महिला सुरक्षा कर्मी को कोई पार्टी टिकट देने के लिए तैयार हो जाए. देश का इतिहास चर्चा और विचार विमर्श का रहा है जो इसकी परिपक्वता का उदाहरण है, लेकिन एक सच यह भी है कि हवाई जहाज के अपहरणकर्ताओं को बाद में टिकट दिया गया. यह भी प्रश्न उठ रहा है कि क्या इसी प्रकार महात्मा गांधी, इन्दिरा जी या राजीव गांधी की हत्या को भी उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि मारने वाले उनकी बातों से असहमत थे ? सड़क पर न्याय किसी भी स्थिति में स्वागतेय नहीं है.

–चुनावी प्रजातंत्र अपने आप में अनूठा है. कई बड़े दिग्गज जैसे प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ वे भविष्यवक्ता पंडित हैं जिन्होंने सर्वेक्षण के आधार पर नतीजों की घोषणा कर टेलीविजन चैनल्स के लिए टीआरपी की व्यवस्था की. कबीर की माने तो सूली ऊपर सेज पिया की, या उर्दू शायरी का वह अंश ''इक आग का दरिया है और डूब के जाना है''. चुनावी नतीजों पर भारत के आतंरिक सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, ''चुनाव परिणाम आ चुके थे, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इंडिया शाइनिंग का नारा मतदाताओं ने नकार दिया था. शाम का समय था, अटल जी अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहे थे तब ब्रजेश मिश्रा ने धीमे से पूछा यह क्या हुआ बॉस ? अटल जी ने चिरपरिचित ठहाके के बाद मुस्कुरा कर जवाब दिया, यही तो विपक्ष भी सोच रहा है !''

– नई सरकार का गठन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नया मंत्रिमण्डल बन गया है। मंत्रिमण्डल व उसमें आये नामों को देखते हुऐ तो प्रधानमंत्री किसी दवाब में दिखते प्रतीत नहीं होते। आगे की राम जाने या नीतीश और नायडू जाने। ■

हमारा शहर

अइजोल

अइजोल (Aizawl) भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। 1871–72 के दौरान मिजो मुखिया खालकोम के उपद्रवी व्यवहार के कारण ब्रिटिश लोगों ने एक चौकी बनायी जो कि बाद में अइजोल ग्राम कहलायी। मिजो आदिवासियों के विरुद्ध ब्रिटिश सैन्य अभियान के दौरान 1890 में असम पुलिस के अधिकारी डेली ने 400 जवानों के साथ ब्रिटिश टुकड़ी को मदद भेजी। डेली की अनुशंसा पर अइजोल की चौकी को और अधिक मजबूत बनाया गया। टुकड़ी ने यहाँ पर सुदृढ़ घेरेबंदी की तथा भवन बनवाये। मेजर लोच के नेतृत्व में 1892–95 में अइजोल से सिलचर तक सड़क मार्ग बनावाया गया। भारतीय वायु सेना ने मार्च 1966 में मिजो नेशनल फ्रण्ट विद्रोह के दौरान नगर में हवाई हमलें किये जिसके कारण विद्रोहियों को लुंगलेई तक पीछे हटना पड़ा। सन 1970 में मिजो नेशनल फरंट के सदस्यों ने आईजोल में सरकारी कोषागार व अन्य कार्यालयों पर सशस्त्र हमला किया था। 1966 तक अइजोल एक बड़ा गाँव था मगर विदोह के बाद मिजो गाँवों का पुनर्गठन हुआ जिसके फलस्वरूप यह पहले कस्बा फिर एक नगर बना । 1972 तक यह नगर असम का भाग था मगर मिजोरम के पहले केन्द्र शासित प्रदेश तत्पश्चात 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन, 1986 के फलस्वरूप राज्य बनने पर नगर यहाँ की राजधानी बना।

खूबसूरत वादियों वाला आइजोल इतिहास, संस्कृति और विभिन्न जातियों के सम्मिश्रण वाला शहर है। यह मिजोरम की राजधानी होने के साथ ही राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। आइजोल में कई पर्यटक आकर्षक स्थल हैं। यहाँ अधिकतर मकान लकड़ी के बने हैं, जिससे यह शहर बिल्कुल अलग नजर आता है। पर्यटक यहाँ पश्चिम में स्थित तियांग नदी या पूरब में स्थित ट्यूरियल नदी का खूबसूरत दृश्य देखने आते हैं। यहाँ का एक और यादगार पर्यटन स्थल है– दर्तलांग पहाड़ियाँ। यहाँ मानसून के महीने भी बहुत अच्छे होते हैं, पर्यटक चाहें तो मानसून के दौरान भी यहाँ आ सकते हैं। आइजोल राज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थल होने के साथ–साथ व्यावसायिक क्षेत्र भी है। यहाँ सूर्योदय का नजारा भी अद्भुत और बड़ा ही आकर्षक होता है। इसे देखने के लिए पर्यटक निरंतर यहाँ आते रहते हैं।

यह नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यह नगर समुद्र तल से 1132 मीटर (3715 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है तथा त्लावंग नदी घाटी पश्चिम में तथा तुईरिअल नदी घाटी पूर्व में स्थित है।

2011 के अनुसार अइजोल नगर की जनसंख्या 2,93,416 है, जिसमें पुरुष 1,44,913 तथा महिलाएँ 1,48,503 है। साक्षरता दर 98.36% तथा लिंगानुपात 1,025 महिला प्रति 1,000 पुरुष है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मध्य लिंगानुपात 983 महिला प्रति 1,000 पुरुष है। विभिन्न आदिवासी समूहों के मिजो लोग नगर की जनसंख्या में बहुसंख्यक हैं। नगर में

ईसाई धर्म के अनुयायी बहुसंख्यक हैं। ये कुल जनसंख्या का 93.63% बनाते हैं। इसके बाद हिन्दू हैं जो कि कुल जनसंख्या के 4.14% हैं। तत्पश्चात मुस्लिम 1.52% बौद्ध, सिक्ख तथा जैन आधे प्रतिशत से भी कम हैं।

सम्वेदनशील राज्य होने के कारण, सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त मिजोरम में प्रवेश हेतु घरेलू पर्यटकों को इनर लाइन परमिट (आईएलपी) की आवश्यकता पड़ती है। आईएलपी को सम्बन्धित अधिकारियों से नयी दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, गुवाहाटी, शिलांग तथा सिलचर में प्राप्त किया जा सकता है। यह अइजोल के निकटतम लेंगपुई विमानक्षेत्र पर पधारने के बाद भी प्राप्त किया जा सकता है। विदेशी नागरिकों को अपने आगमन से 24 घण्टे के अंदर मिजोरम के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पंजीकरण करवाना पड़ता है। परन्तु चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नागरिकों को राज्य में प्रवेश से पूर्व भारत के गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है।

अइजोल हवाई मार्ग द्वारा लेंगपुई विमानक्षेत्र से जुड़ा है, जो कि इसका निकटतम विमानक्षेत्र है। यह विमानक्षेत्र कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अन्तरराष्ट्रीय विमानक्षेत्र, शिलांग विमानक्षेत्र तथा इम्फाल विमानक्षेत्र द्वारा जुड़ा है। तीन विमान कम्पनियाँ एयर इण्डिया, जेट एयरवेज तथा स्पाइस जेट लेंगपुई विमानक्षेत्र से नियमित रूप से हवाई सेवा का संचालन करती है। 2012 में पवन हंस नामक हेलिकॉप्टर सेवा प्रारम्भ हुई जो नगर को लुंगलेई, लॉङ्गतलाई, सइहा, चॉङ्गते, सेरछिप, चम्फाई, कोलासिब, खवजोल, नगोपा तथा ह्नाहथिआल को जोड़ती है।

अइजोल का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन बैराबी है। भारत सरकार ने बैराबी–सैरंग रेलमार्ग पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है जिससे अइजोल सहित पूरे राज्य को बेहतर रेल सम्पर्क सुविधा प्राप्त होगी। इस परियोजना का 90 प्रतिशत काम हो चुका है व इस वर्ष इसे चालू पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही नगर में बेहतर सम्पर्क हेतु जेमबाक से कुलिकावन तक 5 किमी लम्बी अइजोल मोनोरेल का भी प्रस्ताव है। अइजोल असम के सिलचर से, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से तथा मणिपुर की राजधानी इम्फाल से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़ा है। ■

नवलय
अनुबोध

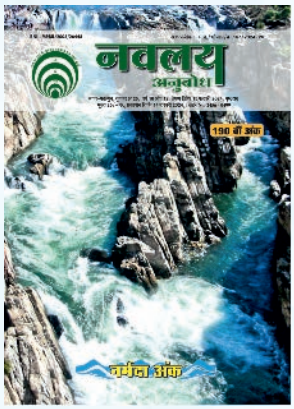

राष्ट्रवाद और संस्कृति के पोषण तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन के सार्थक अभियान का हिस्सा बनने के लिये नवलय अनुबोध पत्रिका के सदस्य बनकर सहभागी बनिये

द्विवार्षिक रू. 500/– वार्षिक सहयोग राशि रू. 300/– का भुगतान

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में/ नेट बैंकिंग/गूगल पे/पेटीएम से कर सकते हैं

खाते का नाम - नवलय अनुबोध (Navalaya Anubodh)

खाता क्र. - 3018974905

बैंक - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जेल रोड, भोपाल

IFSCode – CBIN 0283134

NAVLAYA ANUBODH

10302432@cbin

क्यू आर कोड को स्केन कर राशि प्रेषित कर सकते हैं।

पत्रिका की मुद्रित प्रति के लिये

आपका डाक का पता व प्रेषित राशि की सूचना मो. क्र. 9755380050 पर भेजें

डाक पंजीयन- म.प्र./भोपाल/4-167/2024-26 RNI - MPBIL/2008/26448

शालिगराम तोमर स्मृति समारोह

दिनांक 23 जून 2024 दिन रविवार

स्थान - मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल

प्रथम सत्र - सायं 4:00 से

'याद करें यादों को'

(शालिगरामजी के साथ काम किये कार्यकर्ताओं का मिलन)

द्वितीय सत्र - सायं 6:00 से

'शालिगराम तोमर स्मृति राष्ट्रसेवी सम्मान'

भारत रक्षा मंच के श्री सूर्यकान्त केलकर को
सम्मानस्वरूप श्रद्धा निधि समर्पित की जायेगी।

भला हो जिसमें देश का वह काम सब किये चलो

न व ल य

नवलय
का
आयोजन

प्रकाशक एवं मुद्रक राकेश कुमार जैन द्वारा स्वामित्व नवलय के लिए 54, जोन-2, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं श्री श्रद्धा ऑफसेट प्रिंटर्स, एस-बी-2, लोअर ग्राउण्ड, विजय स्तम्भ, एम.पी. नगर, भोपाल द्वारा मुद्रित